Progress of relief to the victims of 1984 riots and the measures being taken to punish the guilty

श्री अश्विनी कुमार (पंजाब) : माननीय उपसभापति जी, 25 साल के बाद एक बहुत दुखद अध्याय पर इस सदन में एक संवेदनशील चर्चा हो रही है। 1984 के दंगों में जो कत्लेआम हुआ, जो बेगुनाह मारे गए, जिनके साथ जुल्म और तश्द्दुत हुआ, उनके प्रति इस सदन में 2005 में और इससे पहले भी यूपीए के नेतृत्व में प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह दोहराया कि सारे देश को, हमारे सामूहिक अहसासों को इन दंगों से, एक घात पहुंची है, एक जख्म हुआ है। यह जख्म आज भी नहीं भरे हैं। यह बात आज की इस डिबेट से साबित हुई है। इससे पहले कि मैं कुछ और अपनी बात को कहूं, मैं नम्रता से सदन में सभी को यह बताना चाहूंगा कि यूपीए का नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी, डा. मनमोहन सिंह, सभी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार जो दुख की भावना इस अध्याय के साथ जुड़ी है, उसके साथ अपने आपको जोड़ा है। भाई तरलोचन सिंह जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बातें दोहराईं। मैं समझता हूं कि आज की इस चर्चा का विषय है, 1984 के दंगों के पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए, कई चीजें उसके साथ जोड़ना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं था। खैर, उन्होंने अपनी बात कही। आज देश को एक मलहम की जरूरत है। आज आगे रास्ता क्या है, यह देखने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं, कुछ पन्ने ऐसे होते हैं, जिनको भुलाना आसान नहीं होता है। जो जख्म हैं, वह रहते हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं कि बार-बार हम उन जख्मों को कुरेदें। आज हम आप, सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचना है, विचार करना है कि ऐसे दुखद अध्याय इस देश के अंदर फिर न दोहराए जाएं, वह हम कैसे सुनिश्चित करें। आज इस पर चर्चा जरूरी है। भाई अहलुवालिया जी ने न्याय की बात की। मैं अपने आपको उनके अहसास के साथ जोड़ता हूं। देश के हर नागरिक को कानून के मुताबिक न्याय का अधिकार होना चाहिए, न केवल सिख भाइयों को, बल्कि सभी को न्याय का हक है। संविधान के तहत हक है। हमारे देश के अहसास के तहत हक है। अगर यह भावना किसी व्यक्ति विशेष में रह जाए या किसी समुदाय विशेष में रह जाए, तो मैं समझता हूं कि वह देश के सामने एक चुनौती है और हम सबको मिल कर उस चुनौती का मुकाबला करना होगा। जो सवाल उठाए गए हैं, उनके समाधान के लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में गंभीरता से सोचना है। आज की जो चर्चा है, यह किसी तरह का कोई partisan रूप न ले, दलगत रूप न ले और ऐसा न हो, इसका हम सब प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कुछ और बात कहने से पहले मैं बार-बार यह बात कह रहा हूं कि हम सभी अपने आपको पीड़ित महसूस करते हैं। इस देश का एक भी नागरिक अगर अपने आपको न्याय से वंचित समझे या समझे कि उस पर अन्याय ढहाया गया है, तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य उस पर चिंतित होंगे और यह स्वाभाविक भी है, मगर यह कहना कि कुछ नहीं किया गया, न्याय नहीं हुआ या किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकारी षडयंत्र के तहत यह जुल्म हुआ है, मैं समझता हूं कि ऐसा अगर हम कहें तो यह सच्चाई के साथ द्रोह होगा और यह बात सच्चाई से परे है। यह बात जरूर है कि उन दिनों में इतनी बड़ी बात हो गई, एक ऐसी महान शख्सियत, जो देश की प्रधान मंत्री ही नहीं थीं, बल्कि जिनको करोड़ों लोग अपनी माता का दर्जा देते थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, जिससे भावनाएं भड़कीं और लोग गलत रास्ते पर चले। मैं इसके पक्ष में कोई

दलील नहीं दे रहा हूं, मैं कोई defend नहीं कर रहा हूं, मगर वह हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा आगे न हो और जख्म कैसे भरे जाएं, हमें इस बात पर विचार करना है। आज ऐसी कई बातें कही गईं, जिनसे मैं समझता हूं कि यह खतरा है कि जख्म कहीं फिर से हरे न हो जाएं, इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम अपने को उस भावना से जोड़ें, जो मुझसे पहले वक्ताओं ने यहां रखीं कि न्याय होना चाहिए, rehabilitaiton होना चाहिए, जिसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अपने आपको उस भावना के साथ जोड़ते हुए, इस डिबेट की, इस चर्चा की जो शैली है, हम उसको इस तरह से ढालें कि देश के लोग यह समझें कि पच्चीस साल के बाद आज लोग लाशों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं और उपसभापति जी, यह जरूरी भी है।

महोदय, माननीय गृह मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कुछ आंकड़े दिए हैं। मैं उन आंकड़ों को दोहरा रहा हूं, इसलिए नहीं कि वे डिबेट का मूल बिंदू बनें, मगर यह साबित करने के लिए कि प्रधान मंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद सरकार ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ आगे जो करना है, वह भी किया जाना चाहिए। जैसा कि कुछ वक्ताओं ने कहा कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बने कि अगर बदकिस्मती से कहीं ऐसे दंगे दोहराए जाएं, तो उन दंगों से जूझने के लिए, उस अन्याय से जूझने के लिए ऐसा फूलप्रूफ मेकेनिज्म बने ताकि दोबारा इस सदन को, हम सबको, इस देश को शर्मिन्दा न होना पड़े। 1984 में देश में जो हुआ, वह सिर्फ एक समुदाय विशेष पर नहीं, बल्कि सारे देश की आत्मा पर एक चोट थी। हमने हमेशा इस देश में सर्वधर्म समभाव की बात की है, धर्मों के आदर की बात की है, भावनाओं को समझने की बात की है, इसीलिए सौ करोड़ से ज्यादा का यह मुल्क आज भी कितनी tensions के बावजूद इकट्ठा है, एक है और वह सिर्फ इसलिए एक है क्योंकि सबकी भावनाएं एक-दूसरे के साथ जुड़ी हैं। उन्हीं भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को हम एक रचनात्मक डिबेट की ओर लेकर जाएं।

महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके मुताबिक 462 करोड़ रुपए का मुआवज़ा दिया जा चुका है, 36,336 claims settle हो चुके हैं और 2627 claims अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास pending हैं। जहां तक कानूनी कार्यवाही का सवाल है, हमें बताया गया है कि 2568 क्रिमिनल केस रजिस्टर किए गए, जिनमें से 346 केसों में conviction भी हुआ है और मुख्तलिफ़ सजाएं दी गई हैं। इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया ने अपना काम किया है। हां, यह हो सकता है कि पूरी तरह न किया गया हो, यह हो सकता है कि कुछ गुनहगारों को अभी सज़ा न मिली हो, यह मुमकिन है, क्योंकि महोदय, मुझे अभी F.Lel Bailey याद आ गए। उपसभापति जी, आप भी पेशे से Chartered Accountant हैं और वकील भी हैं और F.Lel Bailey अमेरिका के बहुत बड़े Criminal Lawyer हुए। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी थी, जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी। उसमें उन्होंने जो कहा, अहलुवालिया जी की बात के साथ जोड़कर मैं उसको दोहरा रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा - "As the wheels of justice grind on, the innocence of the accused becomes progressively less relevant." जो बेगुनाहगार है, कई बार वह गुनाहगार साबित हो जाता है, कई बार जो गुनाहगार है वह बेगुनाहगार साबित हो सकता है, कानून की यह कुछ खामियां जरूर हैं। इसीलिए आज सदन में इस बात की चर्चा करने की जरूरत है कि इन खामियों को, यह जो हमारी कमियां जुडिसियल प्रोसस में, जिससे कभी-कभी गुनाहगार लोग कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं, उनको कैसे हटाया जाए। मैं एक बात जरूर दोहराना चाहता हूं। जब 2005 में इस सदन में चर्चा हुई, उस वक्त मुझे यह फख्र

हासिल हुआ कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह डिबेट ओपन करूं। हमने उस वक्त भी यह कहा था कि यह नासूर-घाव जो देश की आत्मा पर है, इसको अब हमको भरना है। बहुत सी और चुनौतियां देश के सामने आ गईं। 25 साल के इतिहास को बार-बार दोहराकर हम उस सत्यता को और पुख्ता नहीं कर सकते, जो सच्चाई है वह देश के सामने है, उससे कोई सरकार भाग नहीं सकती और न कोई भाग रही है। इस देश के प्रधान मंत्री ने इस सदन में खुद आकर कहा कि हम शर्मसार हैं, देश शर्मसार है और अब मिलकर हमको ये घाव भरने हैं। इसीलिए जो रिलीफ पैकेज कुछ सूबों तक था, उसको बढ़ाकर बंगाल में, उत्तराखंड में और कई जगह तक एक्सटेंड किया गया, रिहेबिलिटेशन मुआवजे की रकम को बढ़ाया गया। आपने कहा कि हमने कुछ लीडरों को टिकट नहीं दिया। इसलिए नहीं कि किसी एक इंसीडेंट से घबरा गए, मगर भावनाओं का सत्कार किया गया, भावनाओं का आदर किया गया, इसलिए जहां मैं 1984 के दंगों को किसी भी तरह डिफेंड नहीं कर रहा, वहां यह बात बहुत नम्रता के साथ जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर अब 25 साल के बाद राजनीति न हो, भावनाएं न भड़कें, देश वाले, देशवासी हमसे यह एक्सपेक्ट करते हैं। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभापति महोदय, मैं कभी घंटी बजने के बाद बोलने का पक्षधर नहीं, एक शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा, मुझे यकीन है कि आप इस शेर को शायद कबूल करें। मैं सियासत की बात कर रहा हूं कि हमें मियार बदलने होंगे, हमारे जो सियासत के मियार हैं, वे बदलने होंगे, भावनाएं भड़कें नही, यह सुनिश्चित करना होगा। एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उनके शेर से अपनी बात खत्म करूंगा।

"नेक हुकमरान बहुत जल्द वह वक्त आएगा,

जब हमें जीस्त के अदबार परखने होंगे,

अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी इज्जत की कसम,

हमको ताजीम के मैयार बदलने होंगे।"

शुक्रिया

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, हमारे विद्वान मित्र अश्विनी जी ने जो बात रखी है, अगर वह भावना है उनकी और मैंने जो अपना दुख और तकलीफ पूरे सदन के सामने रखा, उसका भी एक शेर है, उसको भी ध्यान में रखें।

"जब चमन को लहू से सींचने की जरूरत पड़ी,

तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी,

अब जब गुलशन गुले गुलबाग हुआ,

तो लोग कहते हैं, यह गुलशन तुम्हारा नहीं।"

मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लौटा दो मेरे वह दिन, जहां मैं इज्जत से जी सकूं। सिख यही मांग रहा है, और कुछ नहीं मांग रहा है।

श्री अश्विनी कुमार : सभी के फूलों से गुलदस्ता बनता है, सिर्फ एक से नहीं।"

श्री एस.एस. अहलुवालिया : हां, वह तो है, गुले गुलबाग हुआ न।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है बहुत अच्छे मन से कहा है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि सी.बी.आई. ने सज्जन कुमार जी का नाम दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अभी तक मुकदमा चलाने की परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? यहां गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। दूसरे, हमारे नेता मुलायम सिंह जी को उनका बंगला आवंटन कर दिया गया है, उस बंगले में वह रह ही नहीं रहे हैं, बल्कि बरात के लिए उसको भाड़े पर दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : सर, मेरा भी एक शेर है:

"करीब है यारो रोजे महशर,

छिपेगा कुश्तों का खून क्योंकर,

जब चुप रहेगी जुबाने खंजर,

लहू पुकारेगा आस्तीन का।"

جناب محمد امین (مغربی بنگال): سر، میرا بھی ایک شعر ہے:

قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر،

جب چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا

شکریہ

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, आज हम 25 साल बाद इस गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे पूरे देश की आत्मा झंझोड़ी गई है। पहले हमारे कुछ आदरणीय मेम्बरान ने अपने ख्यालात रखे और शेर भी बोले। मैं इस दुख के समय पर सबसे पहले उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिनका कत्लेआम हुआ, जिन हजारों बेगुनाहों का कत्ले-आम हुआ है। मैं उसको कत्ले-आम कहता हूं, वह दंगा नहीं था। हमारी जिन बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, जो इस देश की धरती पर बेगुनाहों के खून की होली खेली गई, मैं अपने भाषण से पहले उन महान शहीदों को, जिनकी जान इस देश में एक षडयंत्र के तहत, एक कलेक्टिव कैम्पेन के तहत, एक प्लानिंग के तहत ली गई। सबसे पहले मैं अपनी ओर से तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से उन्हें इस संसद में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन बहनों के साथ भी हमदर्दी प्रकट करता हूं, जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा। जो सदन में पहले हो चुकी है क्योंकि सदन का समय कीमती है। लेकिन इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में, इस देश में जब जब अब्दाली आता था, उस विदेशी से, इस देश की अबला की चुन्नी को बचाने के लिए अगर कोई मैदान में आया, तो वह इस देश का सिख था। जिन लोगों ने इस देश की अबला की इज्जत अब्दाली से बचाई, देश की आजादी के बाद, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक देश और देश के शासकों के लिए और क्या हो सकता है। ये कहते हैं कि जख्म भर जाएंगे, जख्म न कुरेदे जाएं। जख्म नहीं भर पाएंगे, जब तक इंसाफ नहीं होगा। मेरे भाइयों, बातों से जख्म भरने वाले नहीं हैं। इस कत्ले-आम को 25 साल हो गए हैं। मेरे साथियों ने शेर सुनाए हैं, मैं भी सुना रहा हूं। यह दुख के समय का शेर है। "सोचा था बहार देखेंगे, हर कली पे, बुलबुल का प्यार देखेंगे। हमें क्या मालूम, आलम यह, इस गुलशन में अपनी ही मजार देखेंगे।" आपने यही किया है। आपको इसके लिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यह 84 का इंसिडेंट है।

---

†Transliteration in Urdu Script.

हम थोड़ा-सा इतिहास की ओर जाना चाहेंगे। हम जिसे आजादी कहते हैं, अगर हम देखें तो आजादी के लिए शहीद भगतसिंह ने फांसी के रस्से को चूमा, आजादी के लिए शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के वाकये का जनरल डायर से बदला लिया, लेकिन जब अंगरेज से पावर ट्रांसफर हुआ, जब अपने देश में सम्मान से रहने का वक्त आया तो तभी इस देश के गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में क्या मेंशन किया? यह मेंशन किया कि सिख एक जैरायमपेशा लोग हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए। आप कहते हैं कि जख्म भर दो। आप कहते थे कि आजादी के बाद सम्मान देंगे, लेकिन आजादी के बाद हर जिले में डी.एम. को एक पत्र भेजा गया कि सिख एक जैरायमपेशा लोग हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए। आपकी नीयत और आपकी दिशा का उस पत्र से पता चल गया था कि आप देश को किस ओर चलाना चाहते हैं। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड स्टेट की बात चली। पंजाबी जबान के आधार पर सूबा बनाने के लिए मोर्चे लगाने पड़े। हमें अफसोस है कि जब एक बार पंजाबी लैंग्वेज का सेंसेस हुआ, जनगणना हुई - आप अकेले ही 1984 के जिम्मेदार नहीं हैं, हमारे कुछ भाई इधर ही बैठे हैं, मैं यह कहने से भी संकोच नहीं करता, 1961 में जब पंजाबी भाषा की जनगणना हुई तो पंजाब की धरती पर पंजाबी मां बोली से नाइंसाफी की मुहिम जनसंघ ने भी चलाई। वे बोलते पंजाबी थे, लेकिन पेपरों में हिंदी लिखाते थे। यह डिस्क्रिमिनेशन इसमें शामिल है। आज हम जहां खड़े हैं, यहां तक जो बात पहुंची है, आजादी के बाद आपने क्या किया है, हम यह देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस देश में आर.एस.एस. हिंदी, हिंदू और हिंदूस्तान कहती है। इस देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी बड़े जी-जान से लगी रही है, What is the difference between the Congress and the BJP? The BJP stands for monopoly of Hindutva and the Congress Party stands for dominancy of Hindutva. इसलिए आजादी के बाद 62 ईयर्स जो टाइम बीता है, इसमें सिखों का कत्ले आम हुआ, दरबार साहिब के ऊपर हमला हुआ और यह कहा गया कि वहां आतंकवादी थे, इसलिए हमने हमला किया। मैं आपसे पूछता हूं कि मस्जिद में कौन से आतंकवादी थे? आपने मस्जिद भी तोड़ी है, आप चर्चों को भी तोड़ते हैं। चर्च में कौन सा आतंकवादी है? यह एक नीति है। यह एक नीति है, जिसमें आर.एस.एस. ने धर्म परिवर्तन पर लिखा है कि जो व्यक्ति अभी-अभी धर्म परिवर्तन करता है, हिंदुओं को उसे मात्र एक व्यक्ति का घाटा नहीं मानना है, बल्कि एक शत्रु की बढ़ोत्तरी मानना है। यहां माइनोरिटी को शत्रु समझकर ट्रीट किया गया है। अफसोस इस बात का है कि जब सिख को जलाया जाता है, जब सिख बहू-बेटियों का अपमान होता है तो मुस्लिम चुप रहता है, जब मुस्लिम की बारी आती है तो सिख चुप रहता है और जब क्रिश्चियन जलता है को सिख और मुस्लिम दोनों चुप रहते हैं। देश में ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा हैं। पच्चीस साल में अभी तक किसी को सजा न देना और अभी तक आपका यह कहना कि हम कम्पेनसेशन दे रहे हैं, उचित नहीं है। हमें सलाह दी जाती कि आप जख्म न कुरेदो, आप भूल जाओ। आप पच्चीस साल से कम्पेनसेशन की बात कहते हो और अब बोल रहे हो कि हमने माफी मांग ली है। प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांग ली है। यह बड़ी अच्छी बात है, जिनको जलाया गया, जिनको मारा गया, उनसे ही माफी मंगवा दी है। आपसे सूझवान और सयाना कौन हो सकता है? इतने समझदार कि जिनका कत्लेआम

हुआ, जिनको तेल डाल कर जलाया गया, जिनकी बहू-बेटियों के बच्चे मार दिए गए, उनमें से ही एक को खड़ा करके बोल दिया कि हम माफी मांगते हैं, हम शर्मसार हैं। शर्म तो उनको करनी चाहिए, जिस परिवार की वजह से हुआ है। माफी मांगने के लिए ...**(समय की घंटी)**... आज घंटी मत बजाइए, 25 साल बाद खड़े हुए हैं। 25 साल का समय आपने लगा दिया है।

आज जहां ज्यूडिशियरी पर भी सवाल उठे हैं और सरकार की तरफ से हमारे आदरणीय मैम्बर ने कहा कि हमारे कानून में खामियां हैं। कानून तो तब भी वही था, जब एक देश की प्राइम मिनिस्टर की हत्या के लिए जिम्मेदार दो लोगों को फांसी लगा दी गई। कानून में कोई खामी नहीं, खामी आपकी नीयत में है, खामी आपमें है। कानून तो वही है, जब आप फौज के जनरल के हत्यारे को 6 महीने में सजा दे देते हो और कानून तब भी वही है, जब मस्जिद तोड़ने वाले को 17 साल तक सजा न मिले और कानून तब भी वही है, जब सिखों को जलाने वाले को 25 साल तक कोई सजा न मिले। कानून में कोई कमी नहीं है, implement करने वालों में कमी है, हुक्मरान में कमी है।

हमारे आदरणीय मैम्बर अहलुवालिया जी ने कहा, कोई बात नहीं, चले गए, तो कहीं-न-कहीं तो सुनते ही होंगे, आपने जब ब्लू स्टार आपरेशन किया, तो आप वहां से हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज ले आए। आप हमारे उन ग्रन्थों को ले आए, जिनमें हमारी आस्था है। आप हमारे उन religious symbols को ले आए, जिनमें हमारी आस्था है। आप वापस करो। यह सिखों की आन और शान, जो आप संभाल कर बैठे हैं, पता नहीं, आप कैसे उनका अपमान कर रहे हैं, इसके लिए तो न्यायपालिका को पूछने की जरूरत नहीं, आप वापस करो। यह उन्होंने कहा, अच्छी बात की। लेकिन मैं उनसे भी पूछता हूं कि 6 साल आप सत्ता में रहे, आप बताओं कि आपने क्यों नहीं वापस किया, आपने सिखों का सम्मान क्यों न बहाल किया? आप 6 साल सत्ता में रहे और हमारे अकाली भाई, उनकी भी गलती रही है, मैं महसूस करता हूं। उनकी तरफ से भी गलती रही है। बिल्कुल न जाते एनडीए की सरकार में। हमने एक वोट से सरकार गिरा दी थी। आप कहते कि हम नहीं चाहते, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, support unconditional नहीं करेंगे, हम 1984 के कत्ले आम का न्याय चाहते हैं और अपना सम्मान वापस चाहते हैं, फिर हम support करेंगे। मैं समझता हूं कि उस वक्त भी इंसाफ मिल सकता था। हमने वह मौका गंवा दिया है।

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मैं समाप्त कर रहा हूं। समाप्त तो आपने कर दिया है। समाप्त तो आपकी कृपा से हो गए हैं, अब तो जो बच गए हैं, वही खड़े हैं। यह हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आपने तो पूछा नहीं कि आप आतंकवादियों के समर्थक हैं या नहीं, आपने देखा कि पंजाब का नम्बर किस गाड़ी के ऊपर लिखा है, जला दो। हमारे कम्युनिस्ट भाई शायद धर्म में ज्यादा विश्वास न रखते हों, उनके सिर पर पगड़ी थी, उनको भी जला दिया। इसलिए जो बच गए हैं, वही खड़े हैं, बाकी तो समाप्त हैं। हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक भूल हुई है, हमारे मित्रों से, आज इधर बैठे हैं, हालांकि वे सिख cause के लिए लड़ने के लिए champion हैं, no doubt, अकाली भाई भी इंसाफ में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु 6 साल में बीजेपी को समर्थन देना और केन्द्र सरकार में

शामिल रह करके भी इंसाफ हासिल न करवा पाना, मैं समझता हूं कि उस समय भी इंसाफ हो सकता था, मगर नहीं हो पाया। बीजेपी ने यह काम नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही एक जैसे हैं, Natha Singh or Prem Singh both are the same thing.

डा. अम्बेडकर के समय पर एक ऐतिहासिक भूल हुई थी। डा. अम्बेडकर इस देश के 7 करोड़ * को सिख धर्म में शामिल करना चाहते थे। उस वक्त * की आबादी 7 करोड़ थी, आज तो 32 करोड़ हो गई है। डा. अम्बेडकर वही चाहते थे, जो गुरु नानक जी की "सरबत के भले" की आइडियोलॉजी है। जो "हिन्दु, तुर्क को राफजी इमाम साफी" और "मानस की जात सबै एकै पहचानबो" का एजेंडा है, जो "एक पिता, एकस के हम बारिक" का एजेंडा है और जो "भै काहू को देत न, नह भै मानत आन" का एजेंडा है। अम्बेडकर साहब कहते थे कि इस देश के अन्दर जो जाति के आधार पर लताड़े-पछाड़े लोग हैं, उनके लिए गुरु गोबिन्द सिंह जी कहते थे कि मैं इनको सम्मान दूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : "इन गरीब सिक्खन को दूं पातशाही, याद करे हमरी गुरयाई"। जिन गरीब सिखों को गुरु गोबिन्द सिंह जी सम्मान देना चाहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब उन गरीब सिखों को सिख बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की सिख लीडरशिप ने डा. अम्बेडकर साहब का enthusiastically welcome नहीं किया। अगर किया होता तो सिख पूरे देश में मैजॉरिटी में होता और अगर वह मैजॉरिटी में होता तो 1984 में उनके सामूहिक कत्लेआम की किसी की भी हिम्मत न पड़ती।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि सिख लीडरशिप की ओर से यह एक ऐतिहासिक भूल हुई है। कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही इसे जैरायमपेशा कहना शुरू कर दिया और जनसंघ ने पंजाबी बोल-बोल कर भी रिकॉर्ड में हिन्दी लिखवाया। बीजेपी ने भी छः साल में इंसाफ नहीं किया और आपसे तो उम्मीद है ही नहीं क्योंकि गुनहगार तो कभी इंसाफ देगा ही नहीं। हालांकि कर तो रहे हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि गुनहगार न्याय न करे। भाजपा की सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया।

इस बारे में हम आज कुछ suggestion देना चाहते हैं। अगर आप दिल से चाहते हैं कि हम इसको भूल जाएं, तो इसको proper diagnose कीजिए, इसका सही इलाज कीजिए, सही ट्रीटमेंट कीजिए। आप कंपंसेशन की बात तो कर रहे हैं कि इतने मामले सैटल हो गए और इतने रह गए हैं..., मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह रिकॉर्ड में है, हम तो सजा की बात कर रहे हैं। इसके बारे में नौ कमेटियां और एक कमीशन है, जिन्होंने इस कत्ले आम की डिटेल दी है। आपके मंत्रिमंडल में एक सीनियर मैम्बर का नाम हत्याओं में शामिल किया है। यहां मैं उनका नाम भी कोट नहीं करूंगा, क्योंकि वह भी रिकॉर्ड में है। वह आपके मंत्रिमंडल में तो हो सकता है, लेकिन हम यह कहते हैं आपने ब्लैक लिस्ट भी तो बनाई है। कुछ लोगों ने विदेशों में पॉलिटिकल asylum ली थी, हो सकता है उसके पीछे economic reason हो, terrorism न हो। आप उसको भी रिव्यू करो। उनके भाई, बहन, मां ...**(व्यवधान)**...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति : अवतार सिंह जी, देखिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मैं अपनी बात एक-दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। जब उनके भाई, बहन, मां या किसी और रिश्ते-नातेदार की मौत हो जाती है, तो वे उनका मुंह तक नहीं देख पाते। अगर आप भूलने की बात करते हैं, तो उस पर भी विचार कीजिए और अपनी उस ब्लैक लिस्ट को भी रिव्यू कीजिए। जिनको हमने जलावतन कर रखा है, let us call these people, उनको उनके परिवार से मिलने का मौका दो। एक बात और है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, एक मिनट प्लीज़। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारी सजैशन यह है कि दोषियों को सज़ा मिले और बिना किसी देरी के मिले। जिनका नुकसान हुआ है, उनको compensation मिले और उनके rehabilitation का इंतजाम हो। ऐसा कुछ अच्छा प्रबंध किया जाए कि जो पिछले 25 साल में नहीं हो सका।

आज हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, यह पूरी सिख कौम को, देश और दुनिया को यह assurance दें कि जो भूल इनसे पिछले 25 साल में हुई है, जो इन्होंने पिछले 25 साल में नहीं किया, उसे जल्दी से जल्दी करें। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि सिख कौम को आप इस देश में सम्मान से जीने का और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। खास तौर पर, जहां पब्लिक सैक्टर में माइनॉरिटी की रिप्रेज़ेंटेशन को एक प्लानिंग के तहत कम किया गया है, उनके अन्दर यह कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप इसी देश के वासी हैं और पब्लिक सैक्टर में उनकी नुमाइंदगी को इन्क्रीज़ करें। आपसे यही उम्मीद रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐतिहासिक दुर्घटना, जो 24-25 साल पहले हुई थी, उस पर बोलने का समय दिया है।

अभी मेरे भाई अश्विनी जी ने कहा कि आप इन दंगों को भूल जाइए। पहली बात तो यह कि ये दंगे नहीं थे, यह massacre नहीं था, बल्कि सिख कौम के साथ जेनोसाइड था, सिख कौम की नस्लकशी थी। हमसे 24 साल के बाद कहते हैं कि भूल जाओ। वर्ल्ड वॉर का एक वाकया है। यहूदियों के साथ हिटलर ने जेनोसाइड किया था। मैं भाई अश्विनी जी से पूछना चाहूंगा कि यहूदियों के साथ जो हुआ, क्या उसे इजराइल वाले भूल गए हैं? हमें, एक बहादुर कौम को, अपनी बहादुरी और जो पीछे बड़े कारनामे किए, वह कहने का भी हक नहीं। 24-25 साल हुए, एक दुर्घटना एक सोची समझी स्कीम के तहत हुई। अगर दरबार साहब को खाली कराना था, कुछ लोगों पर एतराज था और उनको पकड़ना था, तो उसके और भी बहुत-से तरीके हैं। वहां की बिजली काट दो, एक गैस होती है, वह अंदर फेंक दो तो लोग अपने आप बाहर आ जाते हैं। परन्तु यह इतिहास है कि हरमंदिर साहब अकाल तख्त को जिसने भी गिराया, वह छः महीने या साल में परमात्मा को प्यारा हो गया। अहमद शाह अब्दाली, जो एक बड़ा लुटेरा

था, जिसने हिन्दुस्तान पर बड़े-बड़े जुल्म किए, उसने दरबार साहब के नीचे सुरंग निकाल कर उसे बारूद से भर दिया। उसने दरबार साहब को उड़ा दिया। तब वह खुद बड़ी दूर खड़ा था, लेकिन एक कंकड़ उसकी नाक पर लगी और उससे ऐसा जख्म हो गया कि वह ठीक न हुआ और अब्दाली जी परमात्मा को प्यारे हो गए। यह हमारा मक्का-मदीना है। उसकी नींव का पत्थर हजरत मियां मीर जी, जो मुस्लिम कौम के एक बहुत बड़े संत थे, ने रखी। हमारे गुरुओं ने हरमंदिर साहब के चार दरवाजे रखे कि सब धर्मों के लोग यहां आ सकते हैं। मन्दिर और मस्जिद में रुकावटें हैं, वहां कोई नहीं जा सकता, परन्तु हमारा हरमंदिर साहब एक ऐसा स्थान है, जहां कोई भी चला जाए, वहां पर उसको शरण मिलती है, लंगर मिलता है। उसे तोपों के द्वारा गिरा दिया गया। इससे सिखों के दिमाग पर चोट लगी। उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी जी का कत्ल कर दिया।

महात्मा गांधी, Father of the Nation थे। श्री राजीव गांधी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, आगे बढ़ने वाले थे, एलटीटीई वालों ने उनका कत्ल कर दिया। किसी एलटीटीई वाले को, जो तमिल बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं कहा गया। हमें एक सोची-समझी स्कीम के तहत कि यह एक minority कौम है, इनको लताड़ दो और प्रोपेगेंडा करो और इलैक्शन जीत लो। इलेक्शन जीतने का यह सारा षडयंत्र था। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, शैतान भी उसको देख कर शर्मसार हो जाता है। कहते हैं कि अपनी कौम की बात न करो। दो परसेंट है, डिप्टी चेयरमैन साहब, दो परसेन्ट।

जो सेवा हम निभा रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं किया जाता। पहले फौज में हमारी बहुत ज्यादा भर्ती थी, वह भी कम कर दी। आबादी के लिहाज से कर दी। वह भी हमने पूरा किया। मैं अंडमान-निकोबार की सेल्युलर जेल गया हूं, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां जो 2646 लोग काले पानी की सज़ा में गये, उनमें 80 परसेंट सिख थे। 121 लोगों को फांसी लगी, उनमें 78 परसेंट सिख थे। यह सेल्युलर जेल की दीवारों पर लिखा हुआ है। यही नहीं, करतार सिंह, ऊधम सिंह और भगत सिंह, कामागाटामारू के गदरी बाबा, आदि सब सिख थे। कहते हैं, सिखों की बात न करो। महाराजा रणजीत सिंह जी का राज जब चला गया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, हमारी कौम जरनैलों के बगैर लड़ी और जीत गई।

A Muslim Historian had said :-

"Shah Mohammad is saying that after achieving victory still they were defeated".

The Government should recognize the valour of the Khalsa.

Not only this these looters took the doors of the Somnath Temple to Afganistan, which were brought back by Maharaja Ranjit Singh. Afganistan, which could not be conquered by powers like U.S.A and U.S.S.R, was conquered by Maharaja Ranjit Singh during his rein.

श्री उपसभापति : इस Calling Attention का subject है. ...**(व्यवधान)**...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : यही है, हमारी बिरादरी से तो है न ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप बोलिए, लेकिन इस Calling Attention का subject है, 'Relief to Victims and Punishment to the Guilty'. ...**(व्यवधान)**... देखिए, अगर आप इसी पर बोलें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : हम इसी पर बोलेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : तारीख पर जाने की अपेक्षा हम इस पर ज्यादा जोर दें।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा : मैं यह मानता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर बहुत लायक हैं और सारी दुनिया मानती है, पर जो फिगर इन्होंने दी है, 364 persons were convicted, 27 persons were acquitted on appeal, 41 persons were given life imprisonment, 1 person was given imprisonment for a period of about 10 years and two persons were given imprisonment for 5 and 10 years. 5-10 हजार लोगों का कत्ल कर दो पर एक भी फांसी पर न लटके, फिर कहते हैं कि हमने इंसाफ कर दिया। यह बता रहे हैं कि इन्होंने 462 करोड़ रुपये compensation दे दिया। 462 करोड़ रुपये तो कइयों के मुम्बई में कोठियों का ही मूल्य होगा। यह हमें कहां का इंसाफ दिया गया है, यह हम नहीं मानते। दिल्ली में मंजीत कौर के परिवार के 21 लोग मारे गये। मालिन कौर के घर शादी थी, नौ मर्द मार दिए गए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सिख अपने आपको defend भी नहीं कर सकते। महावीर चक्र हासिल करने वाला एम.एस. तलवार, उस पर जब हमला हुआ, उसके घर को जब लोग जलाने लगे तो उसने अपने रिवॉल्वर से फायर किये। कुछ ही मिनट में पुलिस आ जाती है, कुछ ही मिनट में कमिश्नर, टंडन साहब आ जाते हैं और कुछ मिनटों में पांच ट्रक भरे हुए आ जाते हैं, उस घर को आग लगा देते हैं और उस महावीर चक्र विजेता को पकड़कर ले जाते हैं, दो हफ्ते उसको जेल में रखते हैं।

Sukhdev Singh 80 years of age died and his son Sohan Singh was also killed. No compensation was given.

Chairman Sir, we belong to that race whose founder Guru Nanak had asked for the welfare of world. After witnessing the attack of Babar he said:-

"Bringing the marriage party of Sin, Babar has invaded from Kabul, demanding our land as wedding gift".

"Hauing Terrified Huraasaan Babar terrified Hindustan".

God had called him and our Founder asked for welfare of all. First God created the light; then, by his creative power, he made all the mortal beings. From the one light, the entire universe welled up, so who is good, and who is bad?

"O Almighty God, kindly shower your blessings on the entire Humanity". I finish my speech. Wahe Guru ji ka Khalsa Wahe Guru ji ki Fateh.

Many people were burnt alive, their bodies could not be identified. No expenditure/compensation was given to them, no F.I.R was filed.

Mr. Partap Singh, 80 years of age, passed away in the year 2008 and he did not get compensation for 25 years for the death of his son Satnam Singh.

No Compensation was given to Mr. Hardayal Singh 91 years old for the death of his son Arjan Singh.

No compensation was given to Mr. Karam Singh, who died in the age of 79 years, for the death of his son Kulwant Singh.

3.00 P.M.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए एक बहुत ही दु:खद और गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। दो कमीशन भी इस संबंध में बने - रंगनाथ कमीशन और नानावती कमीशन, इनके अलावा और भी कमीश्न बनाए गए और इन कमीशनों की रिपोर्टों का जिस तरह का हाल हुआ है, उससे इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। एक कमीशन पर हम पिछले दिनों चर्चा कर ही चुके हैं। सरदार तरलोचन सिंह जी के ध्यानाकर्षक प्रस्ताव के संदर्भ में मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है, उसको हम पढ़ रहे थे। एक जगह इसमें कहा गया है कि जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई - दोषमुक्त, दोषमुक्त, छोड़ा गया, दोषमुक्त, दोषमुक्त और एक रिटायर्ड अधिकारी की 50 प्रतिशत पेंशन कम कर दी गई, वह स्टे ले आया। 62 या 69 मामलों में nobody was penalized. कुछ जो बड़े लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे दंगा कराने में आगे थे। जब यहां इस तरह की घटनाओं का जिक्र होगा, तो पुराने घाव तो उद्यड़कर सामने आएंगे। हमारे इस हाऊस के एक सदस्य हैं, उनके पिताजी - बाबू बनारसीदास, राज्य सभा के सदस्य थे, उनका एक मित्र IAS की कोचिंग के लिए यहां आया हुआ था, अखिलेश दास जी उसको हवाई अड्दे पर छोड़ने जा रहे थे, वह लड़का सिख था, उसको हवाई अड्दे के बाहर ही गाड़ी से निकालकर मार दिया गया, वह बेचारा IAS की कोचिंग करने आया हुआ था। राजेन्द्र प्रसाद रोड़ पर श्री राम विलास पासवान के घर पर मुलायम सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राम विलास पासवान थे, बाहर एक सिख टैक्सी ड्राईवर को भीड़ मार रही थी, जैसे ही ये निकले, इन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, भीड़ ने ड्राइवर को तो मार ही दिया, इनके ऊपर भी हमला कर दिया और ये जान बचाकर किसी तरह से कूदकर पीछे भागे, इसके बाद भीड़ ने इनके घर में आग लगा दी। ऐसी एकाध घटना नहीं है, केवल दिल्ली में ही नहीं है, इटावा में हमारे कई लोगों को नुकसान हुआ, उसमें से 2 मेरे स्टूडेंट्स थे। आप जानते हैं कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत ही इमोशनल होता है। मेरे स्टूडेंट्स की सारी दुकानों को लूट लिया गया और वे बाद में पंजाब चले गये। आप कंपनसेशन की बात करते हैं, 36,000 केसेज़ में 462 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया, आप हिसाब लगा लीजिए, 1,300 रुपए प्रति केस बनता है। इन 36,000 केसेज़ को आपने 462 करोड़ रुपये में सैटल किया है, उनमें से भी कई केसेज़ 24-25 साल बाद भी pending हैं।

उपसभापति जी, पूरे देश के लिए यह फख्र की बात है कि सिख कौम, एक बहुत ही बहादुर कौम है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर देश की आर्मी और अन्य सर्विसेज़ में इनका जो योगदान है, वह matchless है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जो बहादुर कौमें होती हैं, वे जल्दी ही किसी चीज़ को नहीं भूलती हैं। करीब 1,400 साल पहले करबला में जो हुआ, उसको आज तक मुसलमान नहीं भूले और न ही भूलेंगे, ते 24-25 साल पहले सिखों के साथ जो हुआ है, क्या वह बहादुर कौम उसे इतनी जल्दी भूल जाएगी? इस कंपनसेशन से और आधे-अधूरे मन से किए गए कार्यों से यह नहीं हो सकता है। आपने एक अच्छी बात यह की है कि इतने दिनों के बाद ही सही, एक सिख को प्रधान मंत्री बना दिया और उन्होंने हरमिंदर साहब में जाकर माफी मांग ली। अगर आप कभी किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दें, तो हो सकता है कि बाबरी मस्जिद के लिए वे भी देश के सामने माफी मांग लें।

यह कर सकते हैं आप, करें तो अच्छा है। लेकिन एक बहादुर कौम को डिमॉर्लाइज कर दिया हमेशा के लिए। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो सरदार लोग गांवों में जाते थे और वहां अपना कपड़ा वगैरह दे आते थे और कहते थे कि फसल पर पैसा लेने आएंगे। अकेला एक आदमी जाता था और रजिस्टर पर नाम लिखा होता था कि पैसा दे जाओ, तो सब पैसा दे आते थे। कभी वह हजार आदमी के बीच में भी अकेला जाता था और डरता नहीं था। लेकिन 1984 के बाद, 84 का यह जो "दंगा' शब्द है, इस पर तो हमें सीरीयस एतराज है। 1984 में जिस तरह से सरदारों के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद यह पूरी कौम जो शानदार कौम थी, वह डिमॉर्लाइज हुई सारे देश में, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राज्य सभा के एक सदस्य थे, यहां दो-बार रहे। जब कानपुर में सिखों को मारा जा रहा था तो उनके परिवार के लोगों ने राइफल लेकर उन्हें बचाने का काम किया। राष्ट्रपति जी ने उनको शौर्य चक्र प्रदान किया तथा बाद में उन्हें राज्य सभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया। दो बार वह पहले राज्य सभा में हमारे दल से मेंबर रहे - चौधरी हर मोहन सिंह जी। इटावा में हमारे एक एम.एल.सी. जो बाद में हमारे मिनिस्टर बने, 200 सिखों, ड्राइवर और कंडक्टर को बचाने के लिए उनको दो दिन गोली चलानी पड़ी लोगों को रोकने के लिए और इस प्रकार उन्हें बचाने का काम किया। उस समय मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि यह हो गया, क्योंकि मेरा घर शहर से बाहर है। मेरे बच्चे ने बाहर से आकर मुझसे कहा कि - पापा, बगल में सरदार अंकल रहते हैं, उनका गैस सिलेंडर और कुछ सामान लेकर लोग जा रहे हैं। तो मैंने बाहर निकलकर पूछा कि क्या है? उन्होंने कहा कि बाहर सरदारों की लूट हो रही है। तो वह वहां से जा रहा था। एक डंडा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोगों के यहां तो लाठी डंडे पड़े ही रहते हैं, तो मैंने उसकी पीठ पर जब डंडा दिया तथा पूछा कि यह कहां से ला रहा है? मैंने जब वापिस उनके घर पर रखवाया तो देखा कि तब तक सारा घर लुट चुका था। यह एक तरह सक नहीं हुआ है, लोगों को अपनी ढाढ़ी तक कटवानी पड़ी कि हमें जान से न मार दिया जाए और हम देखने में सरदार मालूम न पड़ें। यह सारे देश् में हुआ, पूरी कौम को डिमॉर्लाइज किया गया और पर किसी आदमी को दण्ड न मिले, किसी इंपोर्टेंट आदमी को दण्ड न मिले, जो इसको इनीसिएट करे, उनको दण्ड न मिले? गांधी जी की हत्या हुई थी। नेतृत्व इतना काबिल था कि कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ, सब रोक लिया गया, तत्काल रोक लिया गया। इसलिए रोक लिया गया कि तुरन्त सरदार पटेल ने कहा कि रेडियो पर कहा जाए कि मारने वाला हिन्दू है, कहीं लोगों के दिमाग में न आ जाए कि मुसलमान ने मारा है। तब कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन यहां यह कहा जाए कि अगर बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। तो इससे दंगा नहीं होगा? कोई रेस्पांसिबिलिटी नहीं, किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति अपना मुंह नहीं खोल सकता था, अपमानित होना पड़ा, यह सारी दुनिया जानती है। इसलिए कि वह सिख था। यह स्थिति हुई। इसलिए इतनी देर से ही सही, आप लोगों ने जो इस पर चर्चा की, अब भी वक्त है। एक-एक घर में बीस-बीस महिलाएं विधवा हो गईं, मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसा हो जाएगा तो पंजाब में जो बाद में हुआ था तो वह रिएक्शन नहीं था? Roads of revolution ऐसे ही होते हैं, जब बहुत अत्याचार होता है, बहुत अन्याय होता है। लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है तब आदमी दूसरा रास्ता अख्तियार करता है और हथियार उठाने का काम

करता है। पंजाब में इतने दिनों तक अशांति रही। क्यों अशांति रही? जिनके घर में बेगुनाह मारे जाएं, वे लड़कियां जिनकी शादी कल हुई हो, विधवा हो जाएं, तो उनकी जो औलाद होगी और देखेगी तो क्या करेगी? जब निराश होकर फ्रस्टेशन में आ जाता है तो एक स्थिति होती है, उस स्थिति के बाद वह वापिस नहीं लौट पाता है। तो ये सारी स्थितियां हुईं। जो बातें और जिस कम्पंसेशन की आप बात कर रहे हैं, ये इनसफिसिएंट हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप हिसाब लगाइए कि जैसे ही मैंने यह पढ़ा 462 करोड़ रुपए और छत्तीस हजार केसेज सैटिल हुए, तो हिसाब लगाया तो तेरह सौ रुपए से कम पड़ा एक केस में। इतनी जानें चलीं जाएं और कम्पेनसेशन On an average, Rs. 1300/- per head मिले, तो आप समझ लीजिए कि कितनी खराब हालत है। यह क्या, है, क्या मिला, क्या दिया है। यदि कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है, तो एक लाख रुपया, पांच लाख रुपया, दस लाख रुपया मिल जाता है। यदि हत्याएं हो जाएं, लोग बेघर हो जाएं, उनके घर जला दिए जाएं, मकान लूट लिए जाएं, सारी सम्पत्ति लूट ली जाए, सारा बिजनेस खत्म कर दिया जाए, उसके बाद इतना कम compensation दिया जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह केवल eyewash नहीं होना चाहिए। आज जो स्थिति है, मैं इसमें माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो pending cases हैं, उनमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर इनके लिए भी कमेटी बना दी जाए, तो फिर इसमें 25 साल लग जाएंगे। विलम्ब करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग यह बहाना ढूंढते हैं कि यह कागज नहीं है, वह कागज नहीं है और यह verification नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पा रहा है। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, जब उसका सब कुछ जल गया है, तो वह क्या बता पाएगा कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी? इन सारे जख्मों को ठीक करने के लिए अभी भी वक्त है कि आप फिर से पुनः विचार करें कि जो इनको मुआवजा दिया जा रहा है, वह सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जो उनके बच्चे बेघर हुए हैं, उनको रोजी-रोटी देने का काम कीजिए। उनको नौकरियां देने का काम कीजिए। अगर वे लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो उनके बैंकों से कम ब्याज पर लोन देने का काम कीजिए, ताकि वे फिर से establish हो सकें। यह तो ऐसी कौम है जो यहां पर बाहर से आई और यहां पर आकर इन लोगों ने अपने को शैटल कर लिया है। वे सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। आप वह मदद करने का काम कीजिए। आपने घंटी नहीं बजाई, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : सर आज हम लोग, 1984 के उस नर संहार के बारे में relief compensation और सजा के संबंध में Calling Attention Motion पर बोल रहे हैं। सर, मुझे याद है 1984 में हम लोग दिल्ली में थे और हमारी आंखों के सामने घटनाएं घट रही थीं। इसी तीन मूर्ति भवन में जब इंदिरा जी का शव वहां पर था और सब लोग वहां जा रहे थे। जब हमारे General Secretary Harkishan Singh Surjeet उस high security area के तीन मूर्ति में पहुंचे, तब उनको तुरंत मैसेज आया कि आप यहां से चले जाइए। यदि आप यहां पर आएंगे, तो न जाने आपके साथ क्या होगा। फिर हम लोग उनको South Avenue की गलियों में किसी तरह से ले गए। मैं इस हाउस के सामने इस घटना को इसलिए दोहरा रही हूं कि अगर तीन मूर्ति के उस security area में एक security officer इस प्रकार का संदेश भेज सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उन दिनों में जो गरीब सिख फैमिलीज़ थीं, जो हजारों की तादाद में रि-सेटेलमेंट कॉलोनीज़, मजदूर फैक्ट्रीज में जो काम करने के लिए गए थे,

उनकी क्या हालत हुई होगी। सर, हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने वहां कैम्पस में काम किया। जब हमारे मित्र अश्वनी जी कहते हैं कि यह पुरानी बात हो गई है, आगे के बारे में सोचो। हम यह सोचते हैं कि हम जरूर आगे की सोचते और उनको भी कहते कि आगे का सोचो अगर कोई क्लोजर होता। हमने जिन विधवाओं और बच्चों को देखा और आज भी तिलक विहार में एक Widows' Camp है। हम लोग वहां जाते हैं। अगर वहां जाकर कोई उनकी स्थिति देखे, तो वह कैसे closure करे? उनके बच्चों के हत्यारे, उनके लड़कों के हत्यारे जिंदा घूम रहे हैं, promotions ले रहे हैं, फिर closure कैसे होगा? अगर आप पूरी दुनिया के इतिहास को देखें, वर्ल्ड वार के बाद, racims के खिलाफ, साऊथ अफ्रीका के संघर्षवत सब जगह truth and reconciliation, punishment and accountability की बात रही है। हमारे देश में आजादी कल लड़ाई में हर कौम के भाई और बहनों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। लेकिन अगर माइनोरिटी होने के नाते आज गुजरात हो सकता है और 1984 के उस नरसंहार के बाद भी आज तक सजा नहीं होती है तो क्लोजर कैसे हो सकता है? न्याय का क्या अर्थ है? यह जो स्टेटमेंट, हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने दी, मैं सिर्फ एक शब्द में कह सकती हूं कि इसमें उस सरकार की विफलता, उसकी उस न्याय प्रक्रिया के प्रति कंटेम्प्ट बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। पूरे देश में जो रजिस्टर्ड हैं, सात हजार से ज्यादा मारे गए, दिल्ली के अंदर, जो स्वीकृत हैं, कुल मिलाकर तीन हजार से अधिक मारे गए। 72 पुलिस ऑफिसर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कांग्रेस के लीडर्स और वर्कर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन कितनों को सजा मिली? वे 71 पुलिस ऑफिसर्स, उनमें 41 की तो immediate dismissal की बात थी, उनमें से एक का भी dismissal नहीं हुआ। इसके अलावा उनकी प्रमोशन्स हुईं। जो विधवाएं वहां हैं, कल्याणपुरी में, त्रिलोकपुरी में, नन्द नगरी में, जहांगीर पुरी में, क्या हुआ, उन्होंने वह देखा है। वे दिख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ connivance नहीं, यह मत सोचिए कि वे केवल मूक दर्शक थे, उनहोंने उनका साथ दिया। उन्होंने वायलेंस करने वालों का साथ दिया, उन्हें भड़काया, लेकिन उन्हें आज तक सजा नहीं दी गई। मेरा पहला सवाल गृह मंत्री जी के सामने है कि आप हाउस को यह बताइए कि जिन 71 पुलिस आफिसर्स के नाम दिए गए हैं, कोर्ट्स में एविडेंस न होने के कारण कुछ को exonerate किया है - अश्विनी जी, कानून की नहीं, आपके प्रशासन की कमी के कारण, आपकी पोलिटिकल विल की एबसेंस के कारण यह सब हुआ है। वे जो 72 केसेज़ हैं, जो कुसुमलता मित्तल आयोग के हैं, उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे, मैं यह जानना चाहती हूं? मैं यह जानना चाहती हूं कि गृह मंत्री जी के पास सीबीआई की रीइन्वेस्टिगेशन की सिफारिश कब आई? रीइन्वेसिटगेशन किए हुए चार साल हो गए हैं, हम अपने देश में इस प्रकार के रिकॉर्डर्स कायम कर रहे हैं। होम मंत्री जी के पास केस कब आया और होम मंत्री जी के इस केस के बारे में वे क्या सिफारिश देंगे? हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप कितने समय के अंदर देंगे? सर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हम दलगत नीति से ऊपर उठना चाहते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि दलगत नीति से हम तभी उठ सकते हैं कि जिस दल के नेताओं ने यह अपराध किया है, उस दल का नेतृत्व करने वाले उनको खुद सख्त से

सख्त सजा दें। तब हम कह सकते हैं कि हां, हम दलगत नीति से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अगर उस दल के नेतृत्व उनकी रक्षा करेंगे, उनको प्रमोशन्स देंगे, उनको सहारा देंगे तो मेरे प्रिय साथियों, हम उस दलगत नीति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हमने देखा, हमारे साथी ने भी कहा कि देश भर में ऐसे वॉयलेंस करवाने के प्रयास किए गए। कोलकाता के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे सिख भाई-बहन रहते हैं। उस समय श्री ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे बड़े गुरुद्वारे में चुनौती के साथ जाकर कहा कि यहां पर हम हैं, हमारी लेफ्ट फ्रंट है, अगर किसी की भी हिम्मत होती है कि किसी सिख के ऊपर हाथ उठाए तो हमारी सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है कि गोलियां चलाए और इसीलिए कुछ नहीं हुआ। There was absence of political will 25 years ago and I am very sorry to say that there is total absence of political will to mete out punishment to the criminals. If the criminals are punished, yes, our wounds can be healed. But if the criminals go free, our wounds can never be healed. That is the reality. Whichever minority the victims belong to or whichever area they belong to, this is the reality and this is the thing that the Government have to understand.

The second point is regarding compensation in the statement. मैं अहलुवालिया जी की इस भावना के साथ सहमत हूं कि कोई victim झोली फैला कर मांग नहीं करता कि हाय रे हाय, हम मर गए, हमें दो। मैं जब compensation की बात करती हूं, तो मैं भीख के रूप में नहीं, मैं मांग के अधिकार के रूप में, अधिकार और हक के रूप में बात करती हूं। मैं जानती हूं कि जो अधिकतर victims हुए हैं, उनमें हर वर्ग के थे, लेकिन, सर, अधिकतर victims सबसे गरीब मजदूर वर्ग के थे, निम्न मध्यम वर्ग के थे, छोटे-छोटे दुकानदार थे। आज जब आप compensation की लिस्ट हमें पकड़वा कर कहते हैं, आपने कहा, प्रधान मंत्री जी ने कहा uniform compensation, सर, जहां तक मेरी जानकारी है, नानावती कमीशन के बाद जो cash compensation दिल्ली में दिया गया, वह 7 लाख रुपए है, लेकिन दिल्ली के बाहर अब भी यह केवल 3.5 लाख रुपए है। अगर यह बात, जो मैं कह रही हूं, सच है, तो क्या गृह मंत्री जी uniform compensation package के रूप में वह compensation बढ़ाएंगे।

दूसरी बात, जो compensation की आती है, वह रोजगार की है। चूंकि मैं उन परिवारों को जानती हूं, उस समय वह औरत अनपढ़ थी, उसके बच्चे छोटे थे, उसकी पढ़ाई के मुताबिक उसको नौकरी दी गई, कहीं peon की या कहीं पानी पिलाने की या कहीं माली की, लेकिन उसका पति कांट्रैक्टर था या सुपरवाइजर था, जब उसकी हत्या हुई, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा था। चूंकि वह औरत अनपढ़ थी, उसको सबसे lowest pay scale में नौकरी दी गई। आज उसके बच्चे बड़े हो गए। उस औरत ने अपने स्वार्थ को एक तरफ करके कुर्बानी देकर अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा किया। आज वे बच्चे पढ़े-लिखे हैं। सर, मैं पूछना चाहती हूं कि जब प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम हर विधवा की आंख के आंसू मिटायंगे, क्या आप उस आंख के आंसू, उसके लड़के या लड़की को सही

नौकरी देकर, मिटाने का काम करेंगे? सर, मैं जानती हूं कि उस सिख violence के बाद वह परिवार आज कर्ज़ में डूब रहा है। सर, मेरे पास पूरी लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको house to house survey करवा कर लिस्ट दे देंगे कि पिछले 15 साल से किस रूप में वे कर्ज में डूबे हैं। क्या आप उनको नौकरी देंगे और क्या उन तमाम परिवारों को उस कर्ज से मुक्त करवाएंगे, मैं मुआवजे के सवाल पर यह भी जानना चाहती हूं?

सर, हमारे देश के अन्दर missing person के लिए जो कानून हैं, वह उस विधवा के लिए, उसके दुख और जख्म पर और नमक छिड़कने वाला काम करता है, क्योंकि जब तक सात साल नहीं बीतते हैं, तब तक missing person को missing person नहीं माना जाता है। वह विधवा और उसके बच्चे सात साल से कैसे रह रहे थे, आप सोच सकते हैं। सर, हमारे पास missing persons की एक लिस्ट है, मैं आपकी इजाजत से गृह मंत्री जी को दे दूंगी। वे क्यों missing हैं? सड़क पर उनको जलाया गया, उनका कुछ भी नहीं मिला, राख भी नहीं मिली, लेकिन missing person के रूप में आज भी ऐसे cases हैं, जहां आज भी missing person का मुआवज़ा उनको नहीं मिला है। मैं ठोस लिस्ट दे रही हूं। सर, मैं इस सदन में एच.एस. फुल्कर, मनोज बिट्टा जैसे उन साथियों को congratulate करना चाहती हूं, जिन्होंने इसे भूला नहीं और हर चीज़ को document करके हमें मदद दी कि हम गृह मंत्री जी को ठोस लिस्ट दें। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि आज तक missing persons का जो मुआवजा नहीं मिला है, उनको आप पूरा मुआवजा देंगे या नहीं, आप कृपया हमें यह भी बताएंगे।

सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं। जो घर जलाए गए, मेरे पास वह लिस्ट है। सबसे अधिक आम तौर पर 2 हजार रुपए damaged और 10 हजार रुपए, जो पूरी तरह damaged हो गए, उनके लिए दिए गए। अब आप बताइए कि वे उसमें क्या बना सकते थे? उसके लिए भी मैं कहती हूं कि एक house to house survey करवा कर जो उन घरों की जरूरतें हैं, आज महंगाई कितनी बढ़ रही है, वे किस रूप में रह रहे हैं, हमने देखा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अगर आप भी सरकार को आदेश दें कि house to house survey करवा कर, उनकी हकीकत को समझ कर, जो आज की compensation की जरूरत है, वह देने का काम करें, तभी वह होगा। मेरा जो आखिरी प्वाइंट है, वह यह है कि सब कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर है। हम देश की धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं और अपने कॉस्टीट्यूशन की धर्म निरपेक्षता के बारे में बड़े गर्व से बोलते हैं। एक हफ्ता पहले हम लोगों ने लिब्रहान कमीशन के बारे में डिसकस किया था, जिन्हें 20 साल से न्याय नहीं मिला। 1984 के दंगों को भी 25 साल हो गए... सॉरी सर, यह दंगे शब्द नहीं होना चाहिए और यही मेरा प्वाइंट भी है। 25 साल हो गए इस वॉयलेंस के, लेकिन आज तक किसी को कोई सही सजा नहीं मिली है।

सर, इस तरह हमारे देश की व्यवस्था पर ही एक प्रश्न चिह्न उठ जाता है। अगर हम देश को यह मैसेज देंगे कि वह मेरे पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, तो मैं सत्ता का इस्तेमाल करके उनको बचाऊंगी। अगर यह हमारी पॉलिटिक्स है, तो निश्चित रूप से जो भी लोग इस देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं, उनको मदद पहुंचेगी। इसलिए एक मिसाल बना कर आपको यह काम जरूर करना है।

मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करती हूं, जो आपने इंगलिश में शब्द इस्तेमाल किया - riot जिसका हिन्दी अनुवाद है - दंगा, यह दंगा शब्द बिल्कुल गलत है। जो लोग इसके शिकार हुए हैं, जिनके हाथ बांध दिए गए और जिनके

ऊपर हमला हुआ, क्या आप उनके लिए यह कहेंगे कि उन्होंने दंगा करवाया। दंगा का मतलब है, दोनों तरफ से हुआ हमला। हिन्दी के इस शब्द का आम तौर पर इसी चीज़ के लिए उपयोग होता है। इसलिए गृह मंत्री जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि इसके लिए इंग्लिश में यह जो शब्द riot आपने इस्तेमाल किया है, इसको हटा कर आप वॉयलेंस शब्द का इस्तेमाल कीजिए अथवा जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल कीजिए ...(**व्यवधान**)...

बहुत से माननीय सदस्य : सर, हम भी इस बात में वृंदा जी का समर्थन करते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : हकीकत यह है कि वह स्टेट स्पांसर्ड भी था, लेकिन उसके लिए अगर आप State Sponsored शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल करने में आपकी कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए आप 'Violence' or 'Genocide against Sikhs' शब्द का इस्तेमाल करने का काम करें। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mohammad Shafi. Not present. Shri Naresh Gujral. Mr. Gujral, you have five minutes.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I don't think I will stick to that because it is unfair. I have been repeatedly saying since yesterday...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has three Members ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL: On the Liberhan Commission Report, we debated for two days...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't get emotional ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL: I will try to be brief, but I will take my time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot take your time. ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL: Then, you will have to summon the Marshals to throw me out...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek for some time more. ...*(Interruptions)*... Mr. Gujral, you are an important Member. But the way you are talking is not correct. Please rectify.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): It is out of frustration and pent-up anger.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, twenty five years have lapsed since this city witnessed the horrendous massacre of thousands of innocent Sikhs. This was done, in broad daylight, by organised mobs led by persons of a certain political party, including its leaders and Members of Parliament. The police refused to intervene. Sir, I would quote my friend, Dr. Abhishek Singhvi, "The protectors became the predators." In these 25 years, almost ten Commissions have sat, and they have named many culprits. But, I say, with deep anguish, not one leader, who was responsible, has been punished. All the police officers, who were named by various Commissions, got their promotions despite the fact that they were named for dereliction of duty. Sir, these were not

communal riots. Many Hindus, many Muslims and many Christians risked their lives and property to give shelter to the families of the poor Sikhs, who were being murdered by these goons. Sir, I was a witness to these brutal killings. In Maharani Bagh and Friends Colony, upmarket South Delhi colonies, homes of every Sikh were targeted and burnt down. These goons did not have to look at number or name-plates outside these houses. They came armed with lists, just like the Nazis. My family was, luckily, able to save one such family, the Dhingras, whose house was being attacked and we were able to save their young children just in the nick of time. This family stayed with us for six months and I could never face their young children who would ask me innocently, "Uncle, why did this happen to us? What wrong did we do? Why were we punished?" and so on. I did not have the heart to tell them, "You were the lucky ones".

Sir, on the 1st of December, 1984, Air Chief Marshal Arjan Singh, Lt. Gen. Aurora and my father, Shri I.K. Gujral, went twice to the then Home Minister, Shri Narasimha Rao. They literally begged him to call out the Army as a genocide was going on in the city, not that he did not know, but all their appeals fell on deaf ears while the Army waited 20 kilometres outside because there were no orders.

Sir, that night, Gen. Aurora, the victor of the Bangladesh War, the great hero, had to take shelter in our home, and I will never forget the tears in his eyes when he said to my father in a very soft voice, "I would have never imagined, even in my widest dreams, that a day would come when I would have to take refuge in your home. Had I been in mine, I would have been massacred and, that too, in the heart of New Delhi".

Sir, the seven thousand people killed were real people like you and me, men of flesh and blood. They had their families too. Some women saw their husbands and sons burnt alive before their very eyes, with burning tyres put around their necks; others had their entire families massacred in their very homes in front of their children.

Sir, we are all proud of our secular credentials. But what kind of selective secularism is this? Seven thousand innocent people were massacred on the streets of New Delhi, yet, not one leader who was responsible is punished, even after 25 years. Do we not care because this community is only two per cent of our population?

Sir, I will repeat what my colleague, Mrs. Harsimrat Kaur Badal, said in the Lok Sabha about the sacrifices made by the brave Sikhs. Out of 2125 Indians killed by the British, 73 per cent were Sikhs. Out of 2646 sent to Kalapani, 80 per cent were Sikhs. Out of 121 Indians executed by the

British, 78 per cent were Sikhs. Sir, in reply to Mrs. Badal, the hon. Finance Minister said, and I quote, "Let us take a vow that this does not happen again" and he promised to speak to the Prime Minister to resolve this issue immediately. Sir, this was ten days ago. Regrettably, or, rather, as expected, nothing has been done. The CBI is still kept on hold. Was it mere rhetoric on his part?

I would appeal to my friends across the Treasury Benches, the high priests of secularism, that they take a vow here and now that they will force their Home Minister to give permission to the CBI within three days, that all those named in the Nanavati Report are given punishment and that CBI presses chargesheets against them. It is your duty to re-assure all the minorities, regardless of their numbers, that India belongs to us all, irrespective of caste, creed or religion. Sir, for two days, the House debated the Liberhan Commission Report. I have seen my friends across the Treasury Benches competing with each other, in the name of secularism, to demand immediate action against those who were named in that Report. Regrettably, they did so not because of any secular conviction. They only shed crocodile tears. Their heart bleeds for the Muslims simply because this minority community has the numbers. They are a large vote bank. I ask you, Sir, with what moral authority do these defenders of faith even open their mouths when their own Government has systematically and methodically denied justice to another minority community by throttling the justice system and leaving a sickening trail all the way? Thank you, Sir.

SHRI AMAR SINGH (Uttar Pradesh): Sir, we all associate with it and demand that within three days the Home Minister should give the permission *...(Interruptions)...* सर, हम इनकी बात से अपने आपको एसोसिएट करते हैं और यह मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी इसके लिए तीन दिनों के अंदर परमिशन दें।

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी इनकी बात से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN : Sir, I also associate myself with this subject. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Baishya. You have five minutes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, today, I am standing here to speak on the issue which, according to me, was the worst communal violence in our country after India became independent. Sir, in the months of November and December in 1984, more than 7000 Sikhs were killed in our country. Thousands of people became homeless. Their homes were burnt by the mob. Sir, many women were brutally assaulted. Sir, I am very sorry to use this sentence here. Many

women were not only assaulted but also raped by their own Indian people in 1984. Sir, 25 years have passed. Twenty five years means silver jubilee years. And the Sikh community of our country is crying for justice till today! This communal violence was worse than the Jallianwala Bagh. The difference was, Sir, the Jallianwala Bagh happened under the British Rule and this massacre happened after India got Independence; the difference was, in Jallianwala Bagh the Indian freedom fighters were killed by the British soldiers, but in India, in the year 1984, Indian people were killed by Indian people.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Baishya, this is a Calling Attention. ...*(Interruptions)*... Please, listen to me. First, listen, and then react. Do not react immediately. It is a Calling Attention on Relief and Punishment to the Guilty. Please speak on that.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I am coming to that. But, before that, I was trying to narrate this thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a Calling Attention. See, because of the subject, I am allowing more time. But, you have to only seek clarifications. But, now, you are going all over.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I am annoying you, Sir. So, I should stop. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please speak on the subject.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Yes, I am coming to the main subject. Before that, I wanted to narrate this story. The Sikh community has great contribution towards the socio-economic development of our country. They have great contribution towards the Green Revolution of our country. How can you forget, Sir, the contribution of Sikhs to our national movement? How can you forget the contribution of Sikhs towards socio-economic development of our country? Sir, I am very proud in saying one thing here. I am from Assam. When there were attacks on the Sikh community in certain parts of our country, not a single incident occurred in Assam.

Sir, I am coming to the point. In the last 25 years, one community is crying for justice and they are not getting it. So, our demand is – I totally agree with my colleague, Shri Naresh Gujral, who said that the Government should hand it over to the CBI within 72 hours and that the guilty should be punished without any fail.

Secondly, regarding rehabilitation of the victims of this violence, Smt. Brinda Karat rightly said that by offering Rs.2,000 or Rs.10,000, they will not get anything. My suggestion is that the

Government of India should come forward to establish each and every victim of the 1984 riots. The Home Minister is here. I hope, the Government of India, today itself, would announce a special package for those who were victims in the violence of 1984. Thank you, Sir.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, my party shares the anguish and agony expressed by previous speakers. What happened in 1984 was not just a riot, as pointed out by my previous speakers. It was a cold-blooded killing of several thousands of Indians who are Sikhs. It was not a clash between two communities. It was an organised massacre against a section of the people. If it were a communal clash, we know, the Sikh people had been protected by several Hindus, Muslims and Christians. The Hindus, Muslims, Christians, Sikhs and all religious groups in our country, at the people-level, are good; they love each other; that is the strength of this great nation, that is the strength of India.

Sir, what happened in 1984 was a murder of some people. Several thousands of Sikhs were targeted. Sir, a criminal can be a Hindu, a criminal can be a Muslim, a criminal can be a Sikh or Christian. But, no religion becomes criminal. Nobody can say that one particular religion is a criminal religion. In this case, nobody should have targeted Sikh religion for committing certain crimes which is unpardonable. This has to be condemned. The tears shed by any mother, whether she is a Hindu mother or a Muslim mother or Sikh mother, the tears are the same. The honour of any woman, whether she is Hindu or Muslim or Sikh, is the same. They are our people. How these people can be targeted for very calculated, cold-blooded murder and killing? That is what saddens me and saddens everybody, and the nation's soul is shaken. Having said this, now what is the problem? This statement lacks the strong political commitment or the administrative will to provide justice to the affected people, because there is a strong impression-which the Home Minister should take note of – the guilty are yet to be punished. The impression is that the Government is protecting the guilty. That is why there is a sense of frustration growing among the affected people. Some previous speakers made a point when Mahatma Gandhi was killed; he was killed by a Maharashtrian. How many Maharashtrians were killed? When Rajiv Gandhi was assassinated, he was assassinated by some Tamils. How many Tamils were killed? Why such a feeling grows? This is what the Government should take note of. This is what the Home Minister should take note of. Do not allow the sense of frustration to grow; do not allow the sense of alienation to grow; strive to strengthen the sense of belonging. They should feel that they are Indians and they are not discriminated. Here, they think, they are being discriminated. When Rajiv Gandhi was assassinated, no Tamils were killed. When Mahatma Gandhi was killed no Maharashtrian was killed but why in this case Sikhs were killed. That is the strong frustration growing and why the Government should allow such a frustration to grow,

such an alienation to grow. The Government has the responsibility to strengthen the sense of belonging that our Sikh people should feel and rightly so they claim. Their history is the history of sacrifices, not only ordinary sacrifices, but it is the history of supreme sacrifices. If that is so, the Government should see that they have that sense of belonging to the nation. Here I demand, Sir, the Government should take immediate steps for providing relief to the affected people and again the point is regarding action against the political leaders and that is where the whole contention remains. The Government appears to be protecting the guilty which nobody can tolerate and that is where the CBI, the most prestigious investigative agency, if at all it functions independently, should be allowed to proceed with investigation, reinvestigation. And the Government should ensure that and the Government should give a promise, an assurance to the nation that this Government will act, this Government is committed to provide justice to the affected people. Thank you.

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति जी, राजा जी तो शेर नहीं पढ़ सकते हैं, मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूं-

"हमने चमन को सींचा एकाध पत्ते टूट गए होंगे,

तो इल्जाम लगता है बेवफाई का।

जिन्होंने चमन को रौंद डाला,

वादा करते रहनुमाई का।"

श्री शिवानन्द तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, यहां अश्विनी कुमार जी नहीं हैं, उन्होंने जिन भावनाओं को व्यक्त किया, मैं उनके साथ हूं। कोई भी आदमी जो इस देश का भला चाहता है, वह नहीं चाहेगा कि ये सिखों के दिल पर जो जख्म लगे हैं, वे जख्म हरे हों, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जख्म कैसे भरे जाएं, इनका इलाज क्या है? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें इन्होंने खुद कहा है कि - "The Commission also made specific recommendations against some police personnel for their failure to perform their duty." इसी में Action against Delhi Police personnel वाला जो पैरा है, उसमें वे कह रहे हैं कि - "The Government is taking all possible steps within the ambit of law in consultation with the Ministry of Law to bring the guilty to book, wherever Nanavati Commission has named any specific individual(s)"

उपसभापति जी, वर्ष 2005 में नानावती कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और आज जो वक्तव्य गृह मंत्री जी ने दिया है, उसमें एक भी उदाहरण उन्होंने ऐसा नहीं दिया है जिसमें कि किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही हुई हो। सरदार तरलोचन सिंह जी ने बताया कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा सिख मारे गए, उन इलाकों के जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको प्रमोशन दिया गया, यही रिपोर्ट लेकर गृह मंत्रीजी इस सदन में आए हैं और हमारे साथी श्री अश्विनी कुमार जी यह कह रहे हैं कि इस घाव को हरा न किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जिन

परिवारों के लोग मारे गए हैं, जिनके घर उजाड़े गए हैं, जब उनकी आंखों के सामने से उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले लोग गुजरते होंगे, तो उनके दिल के घाव कैसे सूखेंगे, वे तो बार-बार हरे होंगे। बल्कि, मैं तो यह कहूंगा कि जो ट्रेजरी बेंच है, जो कांग्रेस पार्टी है, वह सिखों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम करती है। आपने दो ऐसे लोगों को लोक सभा के चुनाव में टिकट दिया, जिनके नाम prominently इस दंगे में आए थे, यह तो कहिए कि सिख लोग सड़क पर निकल आए, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, उसके बाद जाकर आपने उनका टिकट वापस लिया और उनमें एक आदमी को हमारे राज्य में आपने अपनी पार्टी का प्रभारी बनाकर भेजा है। आप खुद इन जख्मों को हरा कर रहे हैं, आप खुद यह साबित कर रहे हैं कि आपको सेक्यूलरिज़म पर यकीन नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इस देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अकल्लियत के लोग हैं, राजनीति की बिसात पर मोहरे के समान उनका इस्तेमाल किया जाता है। जरा पीछे जाइए, जो मैडम प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, वह हत्या कैसे हुई, उसके पहले आपने भस्मासुर पैदा किया। हमें याद है कि खुशवंत सिंह जी का मैंने लेख पढ़ा था, जिस भस्मासुर को पैदा किया गया था पंजाब में, पहली दफे वह गिरफ्तार हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के समय जो पूछताछ पुलिस ने की थी, उसको टेप किया गया था। उस टेप को खुशवंत सिंह जी ने सुना था। उन्होंने कहा कि एक जो साधारण अपराधी होता है वह जिस ढंग से पुलिस को फेस करता है, उस तरह से वह जो भस्मासुर था, उसका उस तरह का जवाब था और आपने उसे हीरो बना दिया। हीरो बनाने के बाद गोल्डन टेम्पल पर जो कांड हुआ, बंदूक का घोड़ा तो वहीं दब गया था गोल्डन टेम्पल पर, आपने वहां टैंक भेजा, उसी समय बंदूक का घोड़ा दब गया था। हमको याद है कि अहलुवालिया जी, अभी यहां नहीं हैं, इनसे मेरी पहली मुलाकात पटना में हुई थी। जिस समय गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था उसी समय हम लोग डर गए थे कि इसका नतीजा देश के लिए बुरा होने वाला है। हम जिस पोलिटिकल संगठन में काम कर रहे थे, हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार की उस कार्यवाही के खिलाफ फोल्डर छापा और हम लोगों ने मोहल्ले-मोहल्ले में, शहर-शहर में गांव-गांव में नुक्कड़ सभा और पब्लिक मीटिंग करके उस घटना का विरोध करना शुरू किया। उसी समय अहलुवालिया जी को मेरा फोल्डर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि बोरिंग रोड़ चौराहे पर इस तरह से हम लोगों की जमात सभा कर रही है। तो इन्होंने हमको खबर भेजी। एक आदमी आया, उसने कहा कि एक सरदार जी आपसे मिलना चाहते हैं। हमको लगा कि कोई डरा हुआ सरदार का परिवार होगा, क्योंकि देश का जो माहौल है वह सरदारों के खिलाफ है। हम गए उनसे मिलने। इनसे मेरी पहली मुलाकात उसी समय हुई थी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने की घटना है। साबिर साहब और राजनीति प्रसाद जी पटना के रहने वाले हैं। जिस दिन मैडम गांधी जी की हत्या हुई, उसके दूसरे दिन हम लोग पटना के डाक बंगला चौराहा पर खड़े थे। उसी समय एक सरदार जी स्टेशन की तरफ से डाक बंगला चौराहा आ रहे थे। एक पौलिटिकल पार्टी के लोगों ने उस सरदार को पकड़ा। हम लोगों ने किसी तरह से उसको छुड़वाया तथा एक आदमी की मोटर साइकिल पर बैठाकर उसको वहां से भेजा। उपसभापति महोदय, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग कब परिपक्व होंगे, देश के हित के बारे में हम लोग कब सोचेंगे? 2001 के सेंसेक्स के हिसाब से सिखों की आबादी 1.9 परसेंट है।

दो करोड़ से भी कम आबादी है। कभी हम सिखों का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, भले ही अश्विनी कुमार जी कहते होंगे कि देश में एकता की जरूरत है। हम भी महसूस करते हैं कि देश में एकता की जरूरत है। लेकिन सतह के नीचे आज देश एक नहीं है। गृह मंत्री जी, यहां बैठे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, देश को चलाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : यह विषय नहीं है कॉलिंग अटेंशन का।

श्री शिवानन्द तिवारी : लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि अंदर से यह देश एक नहीं होगा, तब तक आप लाख सिर पटक लीजिएगा, आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। देश के मॉयनोरिटीज़ का मन फटा हुआ है। उसको आप जोड़ने का काम कीजिए। उनको अहसास हो रहा है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ कि भारत में मुसलमान होने का मतलब तथा उसमें एक से एक नज़ीर पेश किए गए और बताया गया कि किस तरह से मॉयनोरिटीज़ के साथ इस देश में जुल्म हो रहा है। इस मामले में आपका जो रिकार्ड है वह रिकार्ड साफ नहीं है। इसलिए हम अंत में माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि स्पष्ट तौर पर जवाब दें कि नानावती कमीशन में जिन पुलिस ऑफिसर्स को दागी घोषित किया गया है, उनको वे क्या सजा देने जा रहे हैं और कम्पंसेशन के मामले में वृंदा कारत जी ने जो एक प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि ठोस और साफ-साफ जवाब दें, जिससे देश की एकता मजबूत होगी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति : श्री राजनीति प्रसाद। देखिए, यह कोई घटना के ऊपर नहीं है, यह रिलीफ एंड कम्पंसेशन के ऊपर है। मैं मेंबर्स से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ही बात करें।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभापति जी, यह सही है कि आपने कहा कि जो विषय है उस पर बोलना चाहिए। लेकिन यह सब लागू हमारे ऊपर ही नहीं होगा, बाकी लोगों पर भी होना चाहिए।

श्री उपसभापति : सब पर होगा। चेयर सबसे रिक्वेस्ट कर रही है।

श्री राजनीति प्रसाद : कई लोगों ने शेर कहा है, मैं भी एक शेर कह देता हूं।

"बढ़ गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, नई गंगा निकलनी चाहिए,

मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में हो कहीं भी आग,

लेकिन आग जलनी चाहिए।"

सर, 25 साल के बाद भी आग जल रही है, एक जख्म जो गहरा गया है उसका। मैं तरलोचन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कई लोगों ने कहा कि अब इसको खत्म करना चाहिए। हमारे मित्र जाबिर हुसेन साहब यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी बार चर्चा हुई है, यह चर्चा अब और कितनी होगी। सर, चर्चा तो होगी ही। जो दिल में जख्म लगा है, वह मिटने वाला नहीं है। आप इसको मिटाने का काम कब करेंगे? कब आप इस पर मरहम पट्टी ठीक से करेंगे? अगर आप मरहम-पट्टी ठीक से नहीं करेंगे, तो यह जख्म मिटने वाला नहीं है।

सर, इस देश में सरदारों का इतिहास रहा है, भगत सिंह का इतिहास रहा है। यहां पर सरदार भगत सिंह ने शहादत दी है। लेकिन 31 अक्टूबर, 1984 को हम लोगों ने क्या किया? हमने कौन सा काम किया? दुनिया में सरदार कौम साहसी कौम मानी जाती है। हमने उस कौम के साथ कितना बड़ा अन्याय किया और कितनी बदसलूकी की। सरदार तरलोचन सिंह जी ठीक कहते हैं कि कानून में rioters का मतलब होता है - दोनों ओर से लड़ाई। लेकिन सर, यह लड़ाई नहीं थी, यह तो जेनोसाइड थी। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। शिवानन्द तिवारी जी ने ठीक ही कहा है, उस सरदार को बचाने के लिए हम लोग भी गए थे, जिसको देखकर एक खास पार्टी के लोगों ने हमला किया था।

हमारे मोहल्ले में एक सरदार बहुत दिनों से दुकान करता था। वह पंजाब तो कभी गया ही नहीं था, वह तो बिहार का सरदार था। उस खास पार्टी का नाम यहां पर किसी ने भी नहीं लिया है, इसलिए मैं भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उस खास पार्टी के लोग गुट बनाकर, दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। सर, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक नाम और लेना चाहता हूं।

हमारे एक सरदार मित्र हैं और मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, उनका नाम अजीत सिंह अरोड़ा है। हम लोग मुंगेर में रहते थे और वे हमारे साथ मुंगेर से पटना आए। जब वह घटना घटी, तो वे घर में बंद हो गए। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि मैंने तो कभी पंजाब देखा ही नहीं है, कभी मैं लुधियाना गया ही नहीं हूं, लेकिन आज मजबूर होकर हमको वहां जाना पड़ रहा है।

सर, यह सरदारों का मामला नहीं था, यह एक सियासी पार्टी का मामला था। यह इतना गंभीर मामला था कि अगर आपने इसको कंपंसेट नहीं किया, मरहम पट्टी नहीं की, दोषियों को सज़ा नहीं दी, तो यह आग कभी बुझने वाली नहीं है। यह आग जलती रहेगी। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं प्रेज़ीडेंट के खिलाफ काला झंडा लेकर खड़ा हो जाऊं, तो हमको लोग गिरफ्तार कर लेंगे, सज़ा दे देंगे और हमको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन, सर, 21 अक्टूबर को 5 बज कर कुछ मिनट पर ज्ञानी जैल सिंह जी, जो उस समय के प्रेज़ीडेंट थे, वह श्रीमती इंदिरा गांधी को AIIMS देखने के लिए गए, क्योंकि उन पर हमला हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों पर, जिन्होंने उन पर हमला किया, उन पर कार्यवाही की गई? कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटनाएं घटी हैं, उन पर अगर आप कोई ध्यान नहीं देंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो वह गलत होगा। हमारे शिवानन्द तिवारी जी ने ठीक कहा कि एक आदमी को मारने के लिए, मारने वाले ने समूह में आ करके, पूरा जलूस बना करके मारा और आग लगाने वाले आदमी, मारने वाले आदमी, कत्ल करने वाले आदमी को IPC के Section 109 में abetment कहते हैं। यह सब करने वाले आदमी को आपने बिहार भेज दिया और कहा कि आप जा करके उनका बड़ा इंतजाम करो। यहां मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम लेने के लिए आपने मना किया है।

सर, अगर हिन्दुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले बीजेपी के लोग हैं, अगर यह आएगा तो हिन्दुस्तान के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि सरदार कौम, जो बहादुर कौम है

...**(व्यवधान)**... रुकिए-रुकिए, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**... सर, अगर इतिहास लिखा जाएगा ...**(व्यवधान)**... अच्छा-अच्छा, मैं वापस ले रहा हूं ...**(व्यवधान)**... रुकिए-रुकिए ...**(व्यवधान)**... सर, यह इतिहास में लिखा जाएगा ...**(व्यवधान)**... अरे, आप यह खुद बोले हैं, इसमें हमें क्या करना है ...**(व्यवधान)**... सर, अगर यह इतिहास में लिखा जाएगा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : उन्होंने वापस ले लिया है ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : कांग्रेस ने क्या किया ...**(व्यवधान)**... आप बीजेपी का नाम लेते हो ...**(व्यवधान)**... आप उनका ...**(व्यवधान)**... आप बीजेपी का नाम लेंगे ...**(व्यवधान)**... यह नहीं चलेगा ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद : बाबरी मस्जिद को गिराने वाले ...**(व्यवधान)**... ये लोग थे ...**(व्यवधान)**... जब इतिहास में लिखा जाएगा ...**(व्यवधान)**... बहादुर कौम को डीमोरलाइज करने वाले ...**(व्यवधान)**... सरदार को डीमोरलाइज करने वाले ...**(व्यवधान)**... इस पार्टी के लोग भी थे, उसको छोड़ा नहीं जा सकता ...**(व्यवधान)**... उन्होंने कहा था ...**(व्यवधान)**... राजीव गांधी जी मर गए, स्वर्गीय हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। सरदार, जो बहादुर कौम थी, उसको जख्म हो गया। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन दोषियों के लिए दस कमीशन बनें, मैं कमीशन पर विश्वास नहीं करता, आपने कमीशन बनाया है और उस पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं... सर, एक मिनट, घंटी मत बजाइए।

श्री उपसभापति : बज गई है।

श्री राजनीति प्रसाद : सर, अगर कमीशन के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो फिर इस कमीशन का कुछ मतलब नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरदार लोग, जो विक्टिम हुए हैं, वृंदा कारत जी ने कहा कि अभी भी एक विधवा आश्रम है, हमने उसको देखा है, अगर उन लोगों को कम्पेनसेशन नहीं मिला, अगर उन लोगों को राहत नहीं मिली, उन लोगों की मरहम-पट्टी नहीं हुई तो आने वाले समय में इतिहास हम लोगों को और आपको भी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री मंगल किसन, सिर्फ पांच मिनट में बोलिए।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : डिप्टी चेयरमैन महोदय, 1984 में जो देश में हुआ, वह देश के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात है। इस घटना की इंक्वायरी करने के लिए सरकार ने इस कमीशन बिठाए और दस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं, उन्होंने सरकार को जो रिपोर्ट दी हैं, उसके मुताबिक भारत सरकार को शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। इस फाइंडिंग में जिन लोगों के नाम हैं, 1984 के दंगों में दस हजार से अधिक सिखों को मारने के दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (**प्रो. पी.जे. कुरियन**) पीठासीन हुए।

वे लोग नहीं पकड़े गए हैं तो देर से ही सही, कम से कम सरकार उनको अब पकड़कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था करे। जो परिवार उजड़ गए हैं, उनका रीसैटलमेंट और रीहैबलीटेशन करने के लिए आज के रेट से, जिससे कि, उनका परिवार फिर से पहले जैसा चल सके, उस हिसाब के मुताबिक प्रेजेंट रेट पर

4.00 P.M.

कम्पेन्सेशन देने की सरकार व्यवस्था करे। इसके बाद सरकार जो मैटीरियल्स स्वर्ण मंदिर से सीज़ करके लाई है, सेंटिमेंटल दृष्टिकोण से उन सभी मैटीरियल्स को स्वर्ण मंदिर संस्था या गुरुद्वारे को समर्पित करने के लिए सरकार को शीघ्रताशीघ्र विचार करना चाहिए। जो लोग सरकार में बैठते हैं, जब वे लोग सामने वाले आदमी की ताकत को देखते हैं और जब कानून कार्रवाई करते हैं तो इससे देश में जो माइनोरिटीज़ हैं, उनके मन में दुख होता है, इसीलिए सरकार के द्वारा भेदभाव छोड़कर जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संविधान के मुताबिक व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : सर, हिन्दुस्तान में सिखों की आबादी दो परसेंट है, पर उनकी कुर्बानियों से इतिहास भरा पड़ा है। सिख गुरुओं से लेकर आज तक बहुत बड़ी कुर्बानियां देश की खातिर दी गई। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने देश की खातिर अपना सारा परिवार वार दिया। गुरु तेगबहादुर जी ने जहां अपना शीश दिया, यह चांदनी चौक दिल्ली में ही है और इसे हम कहते हैं गुरु तेगबहादुर हिन्द की चादर। उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह आए। उन्होंने देश को इकट्ठा रखने के लिए बहुत जद्दोजेहद की और उनके राज को secular राज कहते हैं, जिसमें हिन्दू, सिख, मुसलमान, सब भाई-भाई की तरह रहते थे, यह सब लोग जानते हैं। उन्होंन अफगानों के साथ, जिनके साथ आज अमेरिका भी लड़ाई लड़ रहा है, सबके हाथ खड़े हो गए, उस वक्त हरि सिंह नरवाल के जरनैल थे। वहां की जो अफगानी औरतें थीं, वे बच्चे को सुलाती थीं, तो वे कहती थीं कि बेटा, सो जा, नलुआ आ रहा है। उन्होंने बहादुरी के साथ देश की रक्षा की। उसके बाद आजादी की जद्दोजेहद में सिखों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इसके बारे में मेरे सारे भाईयों ने ज़िक्र किया है और लोक सभा में भी हरसिमरत कौर बादल जी ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। किस-किस की बात करूं, 80 परसेंट कुर्बानियां, अगर फांसी हुई, तो 78 परसेंट सिख थे, काला पानी की बात की है, किस-किस जगह की बात करें, बहुत बड़ी कुर्बानी देश की खातिर दी है। यह तो देश की एकता-अखण्डता की बात है, उसके बाद देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश की आजादी को कायम रखने के लिए हिन्दुस्तान पर जितने भी हमले हुए, चाहे वह पाकिस्तान ने किया, चाहे चीन ने किया, सिखों ने खास कर और पंजाबी भाइयों ने भी डट कर साथ दिया। फौज में भी और हमारे किसान भी, जो बार्डर पर रहा करते थे, उन्होंने पूरी फौज की मदद की और बिल्कुल बिना डर के उन हमलों को डट कर मुकाबला किया। उसके बाद वहां के जो ट्रक ड्राइवर थे, वे भी फौज के लिए सामान ढोते थे और वहां की जो हमारी बेटियां-बहने थीं, वे रखरी बांधती थी, जब फौजी लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। पंजाबियों ने इतनी बहादुरी से डट कर आजादी के लिए जद्दोजहद की। यह तो देश की एकता-अखण्डता की बात है।

जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी, तो पंजाबियों ने, खास कर सिखों ने भण्डार भर दिए। हमारे किसानों ने इतनी मेहनत की कि पंजाब अकेला ही 50-60 प्रतिशत, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, केन्द्रीय भण्डार में देता रहा। उसके अलावा देश के बाकी इलाके, यूपी का तराई का इलाका, राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, सारे खेती के लिए आबाद किए, वह सिखों की बहुत बड़ी देन है। आज वहां गुलजार है, बहुत बढ़िया खेत है और बड़ी खुशहाली है। मध्य प्रदेश और दूसरी जगह जाकर भी उन्होंने बहुत मेहनत की और देश के लिए अनाज की जो कमी थी, उसको पूरा किया।

अफसोस की बात यह है कि जो 1984 के जेनोसाइड की बात की गई, मैं बिल्कुल यह मानता हूं कि दो कम्युनिटीज़ में कोई लड़ाई नहीं है। हिन्दू वीरों ने सिख वीरों की मदद की। दिल्ली में भी बचाया और दूसरी जगह भी बचाया। यही कारण है कि जब इन हालातों के बाद पंजाब में टेरोरिज्म बढ़ गया, पंजाब में किसी भी जगह हिन्दू-सिख का झगड़ा नहीं हुआ। पंजाब में सिख मेजोरिटी में थे, पर किसी हिन्दू का बाल बांका नहीं किया गया, इस तरह का रिलेशन था। सिख ऐसा नहीं करता है। पर अफसोस है कि यह जो जेनोसाइड हुआ है, उसके बाद वे कल्प्रिट बाहर हैं। वैसे यह भी कमाल की बात है कि 25 साल हो गए और 25 साल के बाद आज डिबेट है। इससे पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब नानावटी कमिशन था, उस समय भी हम यही बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि न कोई फैसला होता है और न ही इंसाफ मिलता है। वृंदा कारत जी ने बहुत अच्छी बात कही, बाकी सब भी इस विषय पर बहुत अच्छा बोले हैं। अगर हम साथ मिल जाएं तो ये जख्म अपने आप भर जाते हैं। सिख बहुत दरिया दिल होते हैं। हमारे गुरुओं ने भी बहुत बड़े-बड़े त्याग किए हैं और बहुत से लोगों का बक्शा है। लेकिन इंसाफ मिलना भी बहुत जरूरी है।

मुझे सुन कर बहुत हैरानी हुई, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे एक भाई ने बोला कि आप उनको मिनिस्ट्रीज़ दे देते हो, प्रोमोशन देते हो, एम पी का टिकट देते हो और जब प्रैशर पड़ता है तो withdraw करते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जाकर उनको इंचार्ज बना देते हो, ताकि बिहार में जाकर भी वे ऐसा इंतजाम करें कि दंगे भड़कें। शायद इसीलिए ऐसा किया जाता है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बस हो गया।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : इस संबंध में मैं सजैशन तो नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि रूलिंग पार्टी बहुत सैकुलर पार्टी है। यह यही भी है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वह सिख हैं, लेकिन चूंकि वह बड़े काबिल हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया है। लेकिन हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। होम मिनिस्टर साहब भी बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत इंटैलिजेंट हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बस हो गया।

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा : मैं कहना चाहता हूं कि आप इंसाफ कीजिए और जो भी लोग कल्प्रिट हैं, उनको सज़ा दीजिए। अगर शरीर की एक उंगली गल जाती है या उसमें कोई नुक्स पड़ जाता है, तो ऑपरेशन करके उसे काट दिया जाता है। जो गलत आदमी हैं, आप भी उन्हें निकाल दीजिए। आप उन सबकी बुराई लेकर क्यों बैठे हैं? आपको फैसला करना चाहिए और उनको बाहर निकाल देना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको सज़ा दो, उनको पार्टी से निकालो, हम लोगों के मनों को शांत करो और हमें इंसाफ दो। जो विधवाएं हैं अथवा जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए कंपंसेशन अथवा अन्य जो कुछ भी उन्हें दिया जा सकता है, वह दो। इसमें कमिशन की क्या बात है? आप हिन्दुस्तान के किसी भी बच्चे से पूछो कि किसने क्या किया, वह अपने आप ही आपको सब बता देगा। इस चीज़

के बारे में सबको पता है। यहा पर जो मेरे भाई बैठे हैं, उनको भी पता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको छोड़िए मत और इंसाफ कीजिए। आगे से यह देखा जाए कि हिन्दुस्तान में ऐसी घटना फिर कभी न हो, सभी लोग प्यार से रह सकें और जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको यह अहसास हो कि हम इस देश में सुरक्षित रह सकते हैं। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, it is with a deep sense of anguish, pain, sorrow and agony that I recollect the shameful events of the first week of November, 1984, relating to the ghastly massacre of innocent Sikhs in the wake of the tragic assassination of the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, on 31st October, 1984. The whole affair is very sordid. The whole affair is a kind of deep tragedy, too deep for tears actually, and it is a black chapter in the history of secular India. Sardar Tarlochan Singh has done yeomen service, your honour, by bringing this Calling Attention motion to focus attention of this august House on a very important matter, which has hurt the sentiments of the Sikhs, which has hurt their pride. It is such a sordid thing that it needs the attention of this House and it should be discussed above party politics. We must think seriously how those wounds can be healed and how even at this late stage we can ensure that such things do not happen again in the country. The dead cannot speak; they cannot plead; they cannot cry; they cannot say what pains them. Somebody has to speak for them, and that is what has been done by speakers from all the parties. The widows, the orphans, the old people who have lost their sons, their misery is such that some kind of healing touch must be given to them, it won't be enough to say that it was a kind of communal riot. It was neither a riot, nor was it communal. But it was a massacre virtually – massacre of a particular minority – and hence they have been saying that it is a genocide. It was not to the extent as it happened with Jews, but it is something which has shaken faith in the general structure, justice and Constitution. The core issues which have been raised are these. One is, punish the guilty. Has it been done? If we can say that they have been punished, it is all right. But I don't think anybody with a conscience can say that those who are guilty have been punished. It has not been done so far. Another issue is relief to victims. That has also not been given. I won't reiterate it because very learned Members have already said about it in detail. But one thing is very sure that the Government has failed in its three cardinal duties. One is, duty to protect life; another is, duty to protect property and the third is, duty to maintain law and order. These are fundamental duties for any State, for any sovereign country, for any Government, the Central Government or the Delhi Government. This kind of massacre took place not only in Delhi, not only under the authority of the Central Government, but it took place in all the States of the country. It was widespread. Golden Temple was desecrated, Akal Takht was demolished. It happened earlier. But it came as a chain to the psyche of Sikh people. Why has it happened to us? Why have we been targeted? The

Government not only turned a blind eye to riot, murder, arson, rape and torture, but according to their mind and according to their feelings, they connived at it also. It is a matter of shame for everyone who belongs to any community, everyone who believes in the rule of law and everyone who believes in justice. सरकार का इकबाल खत्म हो गया। सरकार की इज्जत समाप्त हो गई। Something must be done. I need not repeat the sacrifices of Sikhs, the brave, the bold, the energetic kaum. How much it has done for the country! Now, Sir, as very rightly suggested by Shrimati Brinda Karat, there must be uniform compensation; there must be some kind of permanent rehabilitation and there must be accountability for missing persons. Let us take a pledge today that such things will never be repeated in this great country of ours and pay homage to those who have been massacred and who have been ill-treated in this manner.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, one of the terms of references of the Nanavati Commission is to recommend measures which may be adopted to meet the ends of justice. When the Commission submitted its Report to the Government in 2005, it recommended that the Government should take steps to see that all the affected persons throughout the country are paid compensation uniformly at an early date. The feeling that the people concerned have not been compensated is the reason for the feelings which have been let out in the House for the past three or four hours. I hope the hon. Home Minister will agree with me and he will share the same feelings of mine that the emotions let out either by Nareshji or Tarlochan Singhji are not out of agitation, but out of agony and pain. They are affected. When they are not compensated, they feel offended. A physical wound is not that much severe as that of the offended feelings, when they feel that they are neglected. Sir, it is needless to say that Sikh people are the people in the sub-continent who have contributed substantially. And, I think, everyone will agree with me that without those people, our history would not have been this much glorious. The credit for various medals, cups and shields that we have won in the field of sports and games is mostly theirs. Their bravery and culture is of unique nature. Sir, when legs get hurt, the eyes shed tears because it is another part of our body. So, when people of other region get affected, we also share their concern and feelings. Sir, they have been affected in a riot and they have not resorted to any other means but come to this House and plead to the Government that please compensate, please rehabilitate, please provide relief. Sir, I would like to say proudly, other than the heroes who were born on the soil of Tamil Nadu, our people and youngsters celebrate Netaji from Bengal and Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev from Punjab. Even now, we can see youngsters wearing t-shirts with pictures of Bhagat Singh. When Bhagat Singh was about to be hanged, he preferred to die being shot dead rather than being hanged. When he was asked as to what was the difference, he said, "If I am shot dead, the next minute, my body will fall on the soil of my motherland. If I am hanged, till my last breath flies out of my body, I have to be

above my soil for a few minutes which I would not tolerate. Even at the moment when I die, my body should fall on my soil." That was the bravery that Shaheed Bhagat Singh had. Sir, his descendents are pained. They ask nothing else. Quarter of a century has passed by. If the figures I have with me are correct, on more than 200 occasions, by way of questions and answers and by other means, we have discussed this issue, and this is yet another. I need not elaborate much. My colleagues earlier have spoken at length. The Government knows everything. The feelings of all of us are the same. I repose my confidence in the Prime Minister. In the solemn assurance he has given to this House, he expresses his concern, "We will try to ensure that widows and children of those who suffered in this tragedy are enabled to lead a life of dignity and self-respect. It shall be our honest attempt to wipe away the tears from every suffering eye." I think he has, with concern, expressed this feeling. I would like to seek two clarifications from the Home Minister from the statement which he has made. The statement says, "Out of the total sanctioned amount of Rs.714.76 crores, a sum of Rs.462.41 crore has been reimbursed." What about the rest of the money? This money has not been totally given to them even after a quarter century, and so also, 2626 crimes are reported to be pending with the State Governments. The statement says that the Government has been monitoring the progress of implementation of the 'Rehabilitation Package' by way of review meetings with the concerned States. Sir, I would like to know the status of these cases or crimes which are reported to be pending with the State Governments. I think, our Home Minister will react to this situation and the feelings expressed by all the Members that no other discussion on the same issue will come up in this House. He will make all-out efforts to settle this. Thank you, Sir.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : सर, 25 साल बाद इस देश के इतिहास का जो सबसे काला अध्याय था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह बताने के लिए खड़ा हूं कि हमारी जो संवेदना पंजाब के साथ हैं, हमारे सिख भाईयों के साथ है और पंजाब के साथ महाराष्ट्र भी खड़ा है। इस देश को बनाने और बचाने में पंजाब ने, हमारे सिख भाइयों ने बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए हमारा भी यह फर्ज है कि आपकी भावना के साथ, आपके दुख के साथ हम भी खड़े हैं।

इस सदन में बार-बार यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं है। सिख समाज इस देश का गर्व है, विश्व का गौरव है। जब-जब इस देश पर संकट आया है, आक्रमण हुआ है, तो उस आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए अगर किसी ने तलवार उठाई है तो सिख समाज ने

उठाई है और आपके साथ महाराष्ट्र ने भी उठाई है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो दुख है वह सदन का दुख है, सदन की वेदना है। मेरे भाई बता रहे थे कि हिन्दुस्तान में सिख 2% हैं। आप भले ही 2% हों, लेकिन देश के लिए आपकी कुर्बानी शत-प्रतिशत रही है। आज जो मुद्दा उठाया गया है, वह बार-बार नहीं उठना चाहिए। वृंदा जी अब नहीं हैं, वे बात कर रही थीं कि 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद चाहे वह दिल्ली हो, लखनऊ हो या भोपाल हो, देश के बहुत से हिस्सों में सिखों का नरसंहार हुआ, लेकिन बंगाल में ज्योति बसु जी की सरकार थी और ज्योति बसु जी ने जो कदम उठाए थे, उन कदमों के कारण पश्चिमी बंगाल में सिखों की रक्षा हुई। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी उस वक्त हमारे एक भी सिख भाई का बाल बांका नहीं हुआ था।

श्रीमती जया बच्चन : यह सच नहीं है।

श्री संजय राउत : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली में दंगे भड़के तो महाराष्ट्र के, मुम्बई के हमारे सिख भाई शिव सेना प्रमुख, बाला साहब ठाकरे जी के पास आए थे और कहा था कि हमें यहां सुरक्षा नहीं मिल रही है, यहां कांग्रेस की सरकार है और जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां-वहां सिख असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति थे। बाला साहब जी ने उस वक्त कहा था कि हमारे महाराष्ट्र में एक भी सिख का बाल बांका नहीं होगा, हमारे स्वयं सेवक आपकी हिफाज़त करेंगे और मैं इस सदन में बताना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन : हमारे पड़ोस में ही ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत : आपकी पड़ोस कहां है, मुझे मालूम नहीं इस वक्त, लेकिन यह इतिहास है कि चाहे नांदेड़ हो, मुम्बई हो, नागपुर हो, मराठवाड़ा हो, वहां लाखों की संख्या में सिख रहते हैं और उनकी रक्षा करने का काम हमने किया था। दूसरी बात, जब ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, वे बाद में मुम्बई में आए थे और ज्ञानी जैल सिंह जी ने खुले आम कहा था, वे राष्ट्रपति थे, कि मुम्बई में सिखों की अगर किसी ने रक्षा की है तो वह शिव सेना ने की है, यह उनहोंने खुले आम कहा था, यह रिकार्ड है, मैडम। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर पॉलिटिकल विल होती तो दिल्ली में, भोपाल में और दूसरी जगहों पर भी सिखों की रक्षा हो सकती थी, लेकिन ये sponsored दंगे थे, इसलिए उनकी रक्षा नहीं हो सकी।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप वाइंड-अप कीजिए।

श्री संजय राउत : आज 25 साल बाद यह मुद्दा उठा है, जैसा अमर सिंह जी ने कहा था, 3 दिन में जो दोषी हैं, उनके ऊपर कुछ निर्णय होना चाहिए। अगर एक हत्या होती है या दो हत्याएं होती हैं, दिल्ली में BMW हादसे में जब चार लोग मारे जाते हैं, तो भी दोषियों को सजा सुनाई जाती है। वहां पर 7,000 लोग मारे गए हैं, इतने ही लोग मिसिंग हैं, लेकिन आज तक न कोई फांसी पर चढ़ा है, न किसी को कोई सज़ा हुई है, इसलिए इस चर्चा से क्या होगा? मैं भी अपने सभी सिख भाइयों के साथ सहमत हूं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए और फिर इस बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं- "Progress of relief and the measures being taken to punish the guilty in connection with 1984 riots." एक लम्बे समय के बीत जाने के बाद आज फिर से 1984 के दंगों को हम याद कर रहे हैं और उसके 25 सालों के बाद आज एक बार फिर जब हम इस पूरे घटनाचक्र पर बातचीत करते हैं, तो उस मंजर को याद करके, उस घटना को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों ने सही कहा कि देश की आजादी से लेकर हर कठिन समय में सिख समुदाय ने अपनी परीक्षा दी है और हमेशा देश के साथ खड़े होने का काम किया है। उस दौरान उस समुदाय के ऊपर इतना जुल्म और सितम ढहाया गया, मैं समझता हूं कि कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। मंत्री महोदय ने अपने बयान में तमाम बातें कही हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज 25 सालों के बाद हम फिर से उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं और जो लोग उस फसाद के लिए जिम्मेदार थे, उनको सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यदि हम इंसाफ को देने में विलंब करते हैं, तो यह भी एक तरह से उनके साथ नाइंसाफी है, जिनके ऊपर जुल्म और सितम हुआ है। हमारे देश की जो न्याय प्रक्रिया है, वह इस प्रकार की है कि उसमें काफी विलंब होता है और उस कानूनी प्रक्रिया से गुज़रने से सालों बीत जाते हैं, जिसकी वजह से समय पर जो इंसाफ मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष पैदा होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि - "Justice delayed is justice denied." अगर हम इंसाफ देने में देर करते हैं और यदि लोगों को सही इंसाफ समय पर न मिले, तो उसमें कहीं न कहीं त्रुटि रहती है, कहीं न कहीं कमी रहती है। 1984 के दंगे में जो नुकसान हुआ, जिन लोगों की जानें गईं, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मरहम रखने का काम जरूर कर सकते हैं। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार से इतिहास को दोहराया न जाए और उसके लिए ठोस कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए न्याय प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। दंगाइयों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उनका हौसला पस्त रहे और इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले समय में वे कभी इस तरह की कोशिश न करें और ऐसे दंगे में हिस्सेदार न बनें। किसी भी समुदाय पर हमला होता है या धार्मिक स्थलों पर हमला होता है, तो उसके खिलाफ अविलंब कार्यवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को जो समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि पुनर्वास की जो बात कही गई है, रिलीफ की बात कही गई है, उसमें विलंब हुआ है। ...(समय की घंटी)... मैं चाहूंगा कि मंत्री जी और सरकार उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। महोदय, उस दौरान दस कमेटियां बनी थी, दस कमीशन बने थे। इत्तफाक से एक कमेटी, ढिल्लों

कमेटी, में मैं भी इसका सदस्य था। उस कमेटी के एक सदस्य अहलुवालिया जी भी थे। उस कमेटी की एक recommendation यह थी कि insurance company द्वारा जो लोगों को insured किया गया था, उसमें riots का जिक्र नहीं था। वह कवर नहीं था। जिसकी वजह से कमेटी ने recommend किया था कि उस insurance policy में उसको भी कवर लिया जाए, ताकि उनको उस insurance का लाभ मिल सके। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है और मुझे जो कागजात मिला है, उसके अनुसार उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जिसकी वजह से उनको insurance का लाभ नहीं मिल पाया। ...(समय की घंटी)...

महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे और जो रिलीफ के काम को अंजाम दिया है, यह अच्छी बात है कि लगभग 462.41 करोड़ रुपए का वितरण हुआ है। लेकिन इसके लिए जो 714.76 करोड़ रुपए रखा गया थ, उसमें से मात्र इतना ही पैसा खर्च हुआ है। जो बाकी पैसे बचे हैं, उसका जल्द से जल्द से वितरण हो सके और जिन राज्यों के द्वारा अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, मैं चाहूंगा कि मंत्री उसका भी जिक्र करें और बताएं कि आखिर उसके पीछे क्या कारण है? 25 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को अभी तक रिलीफ नहीं मिली है, यह दुख की बात है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take only three minutes.

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर) : जनाबे आली, यह जो जवाब hon. Home Minister ने "वजह दिलाओ नोटिस" के हवाले से दिया है, इसमें उन्होंने वजीरे आजम की यकीन देहानी का जिक्र किया है। उसी यकीन देहानी को अमली जामा पहनाने के लिए क्या एकदामात हुए हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं उन्हीं यकीन देहानियों की रोशनी में इसमें से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा यह मुतालबा रहेगा कि जब वजीरे दाखला अपना जवाब दे, तो वह इन सवालों का जवाब जरूर दें। 16 जनवरी, 2006 को rehabilitation pacakge के बारे में notification हुआ और मरकजी हुकूलत ने इसके लिए 714.76 करोड़ रुपए भी sanctioned कर दिए। लगभग चार साल हो गए और इस वक्त तक जो इनके जवाब में बताया गया है कि सिर्फ 462.41 करोड़ रुपए ही तकसीम हुए हैं। यानी लगभग 55 परसेंट रिलीफ ही अभी तक तकसीम हुई है। चार साल गुजरने के बावजूद 2627 claims अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पेंडिंग हैं। इतने बड़े सान्हा के बाद 25 साल तक इंतजार के बाद अब जब उनको रिलीफ तकसीम करने का वक्त भी आता है, तो इसमें भी चार साल लग जाते हैं और ये claims अभी तक पेंडिंग हैं। मैं चाहूंगा कि पहले इस सवाल का जवाब specifically दें, क्योंकि यह काफी नहीं है कि वह अपने जवाब में सिर्फ यह कहें कि हां वक्तन फौक्तन नजरसानी करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। रिव्यू के नताइज क्या रहे? चार साल में अभी तक आप रिलीफ तक़सीम नहीं कर पाए, तो हम कैसे कहें कि आपने जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, मेरा यह सवाल है।

महोदय, दूसरा सवाल यह है कि आपने इस स्टेटमेंट में यह बताया है कि कुछ स्टेट्स ने कोई रिलीफ नहीं दिया है और खुद ही आप जवाब में कहते हैं कि अब हमने वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और चंडीगढ़ की जो Union Territory है, उनको भी हमने कहा है। हम यह चाहेंगे कि आप अपने जवाब में बताएं कि वे भी rehabilitation package के बारे में एकदामात उठाएं। इस वक्त तक इन स्टेट्स की, जिनके लिए आपके रिलीफ पैकेजों को extend किया है, उनकी progress क्या रही, यह दूसरा सवाल है। ...(समय की घंटी)... मेरा एक सवाल और है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : प्लीज, हो गया। ...

श्री मोहम्मद शफी : तीसरा सवाल मेरा यह है कि आपने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि दिल्ली के अलावा 1795 केसेज रजिस्टर हुए स्टेट्स में, जिनकी आपने तफसील दी हुई है और उनमें से आपने 66 आदमियों को सज़ा दिलवाई। तो जो 66 आदमियों को सज़ा दिलवाई है, यह तफसील आपने नहीं दी है कि 1795 केसेज में क्या सिर्फ 66 आदमी गुनहगार थे? मतलब कितने लोग थे और उन केसेज की प्रोग्रेस क्या है? क्या उनको बरीउज्जिम्मा करार दिया गया है या उनको सज़ा दी गई है? मेरी गुज़ारिश यह होगी कि इतना बड़ा वक्त गुज़रने के बाद अगर हम जख्मों पर मरहम नहीं लगाएंगे, जिन जज्बात का इज़हार यहां ऑनरेबल मैम्बरान ने किया है, तो उन पर मरहम

नहीं लगेगा, बल्कि नाराज़गी बढ़ेगी। Alienation जो है, वह दूर नहीं होगा, alienation और बढ़ेगा और उसके अपने नताइज जो हैं, उसको भुगतने के लिए कौम को तैयार होना पड़ेगा।

جناب محمد شفیع (جموں اور کشمیر) : جناب عالی، یہ جو جواب آنریبل ہوم منسٹر نے 'وجہ دلاؤ نوٹس' کے حوالے سے دیا ہے، اس میں انہوں نے وزیر اعظم کی یقین دہانی کا ذکر کیا ہے۔ اسی یقین دہانی کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کیا اقدامات ہوئے ہیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں انہیں یقین دہانیوں کی روشنی میں ان سے دو-تین سوال پوچھنا چاہوں گا۔ میرا یہ مطالبہ رہے گا کہ جب وزیر داخلہ اپنا جواب دے، تو وہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ 16 جنوری، 2006 کو rehabilitation package کے بارے میں notification ہوا اور مرکزی حکومت اس کے لئے 714-76 کروڑ روپے بھی sanctioned کر دئے۔ لگ بھگ چار سال ہو گئے اور اس وقت تک جو انکے جواب میں بتایا گیا ہے کہ صرف 462-41 کروڑ روپے ہی تقسیم ہوئے ہیں۔ یعنی لگ بھگ 55 فیصد ریلیف ہی ابھی تک تقسیم ہوئی ہے۔ چار سال گزرنے کے باوجود 2627 claims ابھی تک اسٹیٹ گوورنمنٹس کے پاس پینڈنگ ہیں۔ اتنے بڑے سانحہ کے بعد 25 سال تک انتظار کے بعد اب جب ان کو ریلیف تقسیم کرنے کا وقت بھی آتا ہے، تو اس میں بھی چار سال لگ جاتے ہیں اور یہ claims ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے اس سوال کا جواب specifically دیں، کیوں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے جواب میں صرف یہ کہیں کہ ہاں وقتا فوقتا جو ہے، نظرثانی کرتے رہتے ہیں، ریلیف کرتے رہتے ہیں۔ ریویو کرتے رہتے ہیں۔ ریویو کے نتائج کیا رہے؟ چار سال میں ابھی تک آپ ریلیف تقسیم نہیں کر پائے، توہم کیسے کہیں کہ آپ نے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کیا ہے، میرا یہ سوال ہے۔

مہودے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹیٹمینٹ میں یہ بتایا ہے کہ کچھہ اسٹیٹس نے کوئی ریلیف نہیں دیا ہے اور خود ہی آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اب ہم نے ویسٹ بنگال، تمل ناڈو اور چنڈی گڑھ کی جو Union Territory ہے، ان کو بھی ہم نے کہا ہے۔ وہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے جواب میں بتائیں کہ وہ بھی rehabilitation package کے بارے میں اقدامات اٹھائیں۔ اس وقت تک اس اسٹیٹس کی، جن کے لئے آپ نے ریلیف پیکجوں کو ایکسٹینڈ کیا ہے، ان کی پروگریس کیا رہی، وہ دوسرا سوال ہے ---(وقت کی گھنٹی)--- میرا یہ سوال اور ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لونگا۔

آپ سبھا ادھیکش (پروفیسر پی-جے-کورئن) : پلیز--- ہو گیا---

† Transliteration in Urdu Script.

جناب محمد شفیع : تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسٹیٹس میں یہ کہا ہے کہ دہلی کے علاوہ 1795 کیسیز رجسٹر ہوئے اسٹیٹس میں، جن کی آپ نے تفصیل دی ہوئی ہے اور ان میں سے آپ نے 66 آدمیوں کو سزا دلوائی۔ تو جو 66 آدمیوں کو سزا دلوائی ہے، یہ تفصیل آپ نے نہیں دی ہے کہ 1795 کیسیز میں کیا صرف 66 آدمی گناہگار تھے؟ مطلب کتنے لوگ تھے اور اس کیسیز کی پروگریس کیا ہے؟ کیا ان کو بری الذمہ قرار دیا گیا ہے یا ان کو سزا دی گئی ہے؟ میری گزارش یہ ہوگی کہ اتنا بڑا وقت گزرنے کے بعد اگر ہم زخموں پر مرہم نہیں لگائیں گے، جن جذبات کا اظہار یہاں آنریبل ممبران نے کیا ہے، تو ان پر مرہم نہیں لگے گا، بلکہ ناراضگی بڑھے گی۔ alienation جو ہے، وہ دور نہیں ہوگا، alienation اور بڑھے گا اور اس کے اپنے نتائج جو ہیں، اس کو بھگتنے کے لئے قوم کو تیار ہونا پڑے گا۔

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Mr. Mohammad Adeeb. Please take only three minutes.

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : सर, एक फाजिल मैम्बर अश्विनी जी ने यह कहा कि अब भूल जाइए, यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन अश्विनी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अकलियतों के दर्द को समझिए, कैसे भूलेंगे वे? उन जख्मों को वे कैसे भूलेंगे? मुझे इसलिए एहसास है कि गुजरात के फसाद मैंने देखे हैं और गुजरात में जो मेरी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी खामोश सिसकियां मेरे कानों में सुनाई देती हैं। वे बच्चे जो यतीम हुए, उनकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। मैं समझ सकता हूं कि मेरे सिख भाईयों के साथ क्या हो रहा होगा? ऐसे भूला नही जाता है, ऐसे नहीं भूल सकते हैं। अकलियतों के दिल को समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकाली भाईयों से कहना चाहता हूं कि यह जमात का खेल नहीं है। यह खास सोच है और वह सोच है आर.एस.एस. की, जिसके नुमाइंदे इधर भी हैं और उधर भी हैं। जो यह सोच है, इस सोच ने मेरे मुल्क के परखच्चे उड़ाने की जिम्मेदारी दी है। अभी चंद दिन पहले आर.एस.एस. के चीफ ने यह एलानियां कहा कि इस देश का बंटवार अभी नहीं हुआ है, अभी अखंड भारत की बात होगी। तो ये जो जज्बात हैं, समझ लीजिए, मैं अकलियती भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके दर्द में शरीक हैं, आप हमारे दर्द में शरीक होइए और गांधी के उन मानने वालों को यह बताइए, जो गांधी के supporter हैं, गांधी की values को जानते हैं, उनका सहारा हमको लेना पड़ेगा और यह मैं अकाली भाइयों से कहना चाहता हूं कि उस सोच से बचकर रहिएगा और वह सोच जो है, उस सोच ने इस देश की हालत खराब कर रखी है। इन अल्फाज़ के साथ ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप क्वेश्चन पूछिए, यह कॉलिंग अटेंशन है।

श्री मोहम्मद अदीब : मैं यह कहना चाहता हूं कि हुकूमते हिन्द से ...**(व्यवधान)**... हुकूमते हिन्द से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कितने भी कमीशन बना दें, कमीशन से फैसला नहीं होगा। कमीशन के पीछे जो सोच है, उसकी तरफ अगर आप निगाहें दौड़ाएंगे, तो सब समझ में आ जाएगा। अभी हमारे बहुत फाजिल दोस्त और बहुत सीनियर मैम्बर प्रो. राम गोपाल यादव ने कहा था कि जिस वक्त गांधी जी का कत्ल हुआ, वह कत्ल सिर्फ उनका कत्ल करना नहीं था, बल्कि इस देश में और तमाशा करना था। इसलिए कि गोडसे को गैडगिल ने पहचान लिया। अगर गैडगिल जी ने पहचाना नहीं होता तो वहां उससे बड़ा संहार होता, जो सन् 1984 में हुआ है। यही अकलियत की पहचान है, जैसा कहा गया यहां पर। मैं अपनी बात खत्म करके, क्योंकि मैंने देखा है कि आज इस हाउस में उर्दू शायरी का बड़ा इस्तेमाल हुआ है। मैं भी एक शेर पढ़कर यह बात खत्म करना चाहता हूं कि :

"गांधी हो या गालिब, इंसाफ की नजरों में,

हम दोनों के कातिल हैं और दोनों के पुजारी।"

शुक्रिया।

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : سر ، ایک فاضل ممبر اشونی جی نے یہ کہا کہ اب بھول جائیے، وہ بہت صحیح بات کہی ہے، لیکن اشونی جی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے درد کو سمجھنے، کیسے بھولیں گے وہ؟ ان زخموں کو وہ کیسے بھولیں گے؟ مجھے اس لئے احساس ہے کہ گجرات کے فسادات میں نے دیکھے ہیں اور گجرات میں جو میری بہنوں کے ساتھ بلاتکار ہوا، ان کی خاموش سسکیاں میرے کانوں میں سنائی پڑتی ہیں۔ وہ بچے جو یتیم ہوئے، ان کی انکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے سکھ بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ ایسے بھولا نہیں جاتا ہے، ایسے نہیں بھول سکتے ہیں۔ اقلیتوں کے دل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکالی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت ک کھیل نہیں ہے۔ یہ خاص سوچ ہے اور وہ سوچ ہے آر۔ایس۔ایس۔ کی جس کے نمائندے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ جو

یہ سوچ ہے، اس سوچ نے میرے ملک کے پرخچے اڑانے کی ذمہ داری لی ہے۔ ابھی چند دن پہلے آر۔ایس۔ایس۔ کے چیف نے یہ اعلانیہ کہا کہ اس دیش کا بٹوارہ ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی اکھنڈ بھارت کی بات ہوگی۔ تو یہ جو جذبات ہیں، سمجھ لیجئے، میں اقلیتی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے درد میں شریک ہیں، آپ ہمارے میں شریک ہوئیے اور گاندھی جی کے ان ماننے والوں کو یہ بتائیے، جو گاندھی کے سپورٹر ہیں، گاندھی کی ویلیوز کو جانتے ہیں، ان کا سہارا ہم کو لینا پڑے گا اور یہ میں اکالی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سوچ سے بچ کر رہنے گا اور وہ سوچ جو ہے، اس سوچ نے اس دیش کی حالت خراب کر رکھی ہے۔ اس الفاظ کے ساتھ ...(مداخلت)...

اپ سبھا ادھیکش : آپ کونشچن پوچھنے، یہ کالنگ اٹینشن ہے۔

جناب محمد ادیب : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہند سے ...(مداخلت)... حکومت ہند سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی کمیشن بنا دیں، کمیشن سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ کمیشن کے پیچھے جو سوچ ہے، اس کی طرف اگر آپ نگاہیں دوڑائیں گے، تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ہمارے بہت فاضل دوست اور بہت سینئر ممبر پروفیسر رام گوپال یادو نے کہا تھا کہ جس وقت گاندھی جی کا قتل ہوا، وہ قتل صرف ان کا قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس دیش میں اور تماشہ کرنا تھا۔ اس لئے کہ گوڈسے کو گاڈگل نے پہچان لیا۔ اگر گاڈگل جی نے پہچانا نہیں ہوتا تو وہاں اس سے بڑا سنہار ہوتا، جو سن 1984 میں ہوا ہے۔ یہی اقلیت کی پہچان ہے، جیسا کہا گیا یہاں پر۔ میں اپنی بات ختم کرکے، کیوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اج اس ہاؤس میں اردو شاعری کا بڑا استعمال ہوا ہے۔ میں بھی ایک شعر پڑھ کر یہ بات ختم کرتا چاہتا ہوں کہ :

گاندھی ہو یا غالب، انصاف کی نظروں میں

ہم دونوں کے قاتل ہیں اور دونوں کے پجاری

شکریہ۔

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Mohammed Adeeb. Now, the Leader of the Opposition.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, it is ironic that this discussion comes almost back-to-back with the discussion on the Justice Liberhan Commission's Report last week. And I remember, my friend, from the Treasury Benches, Dr. Abhishek Singhvi, saying that even the crocodile doesn't shed such tears! The Home Minister, while replying, referred to two important words when he said that 'majoritarianism' is the same thing as 'xenophobia' and has no place in our society. I do not intend to disagree with him. But is he willing to judge the actions of his Party and his Government on the test that he laid down last week? I say this, Sir, because even when I read the Statement that has been made by the Home Minister, at the beginning of this debate, I wish to ask him a question: Is he or his Government serious about anything that they have said in this Statement? The hon. Members have already said that what happened in 1984 is referred to as a riot; it was not a riot; it was a massacre; it was a one-sided killing. Perhaps, they are right. But even calling it 'a one-sided killing' would be an understatement because it was a State-sponsored massacre; it was almost a revenge killing! And it was a revenge killing against those who have a history, in this country, of being one of the most patriotic citizens of this country; if not, perhaps, the most patriotic! The Sikhs have made sacrifices. But what they suffered in 1984 was, first, the 'Operation Blue Star', which was misconceived, and, along with the killings, after the unfortunate assassination of the then Prime Minister, it was the combination of these actions which not only make them angry; it did not make them solemn; it brought the most patriotic citizens of the country almost to the point and a feeling of rebellion!

What is most discerning, Sir, about what happened in 1984 was the collapse of various institutions in our system. The collapse was evident where at hundreds and thousands of places, you had mass killings going on and the Police did not step in to stop that! Every time, a victim came to Court, he came back without relief! The Police establishment, the political establishment had turned deaf ears to what was happening! The Government appointed a Committee immediately after the massacre of 1984, headed by a Police Officer, Mr. Ved Marwah. He was on the process of finalising his report; he wanted to point out who the people, he thought, were guilty, both amongst the Police establishment and amongst the accused in the political establishment. Before the Committee could give its Report, the Committee is wound up! That Report does not come, and instead, you appoint a Commission headed by a Supreme Court Judge! Can anybody seriously refer to any recommendations of that Commission? When we look at the recommendations of that Commission, our memory goes back to the fact that immediately, on retirement, the Judge became a Congress Member of the Rajya Sabha! He retired as a Congress Member of the Rajya Sabha and he was given another Commission of Inquiry, the Commission to inquire into what has to be done with Dalit

Christians and Dalit Muslims. Therefore, when we look at that Commission's findings, the findings have no credibility whatsoever. Look at the circumstances. I am glad that the Information and Broadcasting Minister is here. We are talking of 1984 when you only had one television channel, the Doordarshan, a State-controlled channel. There were no private channels. The most condemnable, heinous, assassination of the Prime Minister had taken place. The body of the Prime Minister was visible and, of course, we were all in a state of mourning and shock. For 48 hours all you could hear repeatedly on that Doordarshan which had a monopoly viewership was a slogan saying "khoon ka badla khoon", almost a call for revenge killing. Let any private channel do it that today. The I & B Ministry would be the first one to issue it a notice and ban that channel. But you had these slogans visible and audible to the entire nation asking virtually for "blood-for-blood". This was provocation being held out to the whole country. Effort was being made to save her life at the All India Institute of Medical Sciences. Ministers, senior leaders, political leaders, political workers and all were collected there. There were no masses who had come from somewhere. The President of India went to the All India Institute of Medical Sciences. By coincidence, at that time, he happened to be a Sikh. The President's convoy was attacked. Were these angry people came from outside or were all these people the political workers who gathered at the All India Institute of Medical Sciences?

The hon. Member referred to the unfortunate and condemnable riots in Gujarat in 2002. *(Interruptions)...*

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): It was not a riot. It was also ...*(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): No, please. ...*(Interruptions)...* Please don't interrupt. ...*(Interruptions)...* No, please. ...*(Interruptions)...* Rashtrapalji, don't interrupt. ...*(Interruptions)...* Please don't interrupt. The Minister will reply. ...*(Interruptions)...* Don't interrupt. ...*(Interruptions)...* Don't interrupt, please. ...*(Interruptions)...* No, please. ...*(Interruptions)...* Rashtrapalji, please take your seat. Don't interrupt. ...*(Interruptions)...* The Minister will reply. You don't reply. ...*(Interruptions)...* Take your seats. No, please. ...*(Interruptions)...* He is not yielding. ...*(Interruptions)...* Are you yielding, Mr. Jaitley? ...*(Interruptions)...* Take your seats. ...*(Interruptions)...* He is not yielding. ...*(Interruptions)...* Take your seats. *(Interruptions)...*

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, my point simply is that we all condemned it. Even in Gujarat 300 people died in police firing. When the rioters or the killers were going on the streets killing people, 300

people died in police firing at different locations. Three thousand people were massacred in Delhi. Can I ask the Home Minister, today, at least, after 25 years, to give us the facts as to how many peopled died or injured in police action or police firing? Was there a single case where the police intervened, lathicharged the mob, fired at somebody and burst teargas shells, as far as Delhi in 1984 was concerned?*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No.

SHRI ARUN JAITLEY: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURJEN): No. That will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: This is a fact of history. If it can't go on record ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is on record. The Congress Party has said that. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: This is a fact of history. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश) : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, please. I will tell you. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, आप यह कैसे कह सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is because that is a specific allegation against the then Prime Minister ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: All the speakers have referred to it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH: All the speakers have stated it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): If all of you speak, what can I do?...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, यह किस रूल के तहत किया गया ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार : सर, इसके पहले भी सब वक्ताओं ने बोला, उन्होंने कोई नई बात तो नहीं कही ...**(व्यवधान)**... पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है ...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, हमने भी इसको कहा है ...**(व्यवधान)**... कई लोगों ने कहा है ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is correct. But the Chair does not know whether it was said by the then Prime Minister. That is one point.

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, यह तो fact है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will check it. ...*(Interruptions)*... The Chair does not know whether it was said by the then Prime Minister. If the hon, LoP is quoting from some source, he can quote and authenticate, I have no objection. But when he says, "The then Prime Minister said", that is an allegation against the then Prime Minister. I cannot allow it to go on record. That is one thing. ...*(Interruptions)*.

श्री विनय कटियार : उपसभाध्यक्ष जी, सदन में सारे लोगों ने कहा ...(**व्यवधान**)... मुझे कोई आपत्ति नही है ...(**व्यवधान**)... लेकिन आपत्ति इस बात की है ...(**व्यवधान**)... कि सारे लोगों ने इसका उदाहरण दिया ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Because the Chair. ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... You sit down. You take your seat.

श्री विनय कटियार : चेयर की ओर से इस पर objection नहीं किया गया ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Vinay Katiyar, please take your seat. Unless the Chair is convinced that that statement was made by the then Prime Minister, the Chair cannot allow it. And I am not convinced. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : सर, अगर मैं यह कहता ...(**व्यवधान**)... बड़े-बड़े पेपरों में छपा ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have already said that the hon. LoP can quote it if he has any source and authenticate. I have no objection.

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : सर, यह गलत है ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No. Please.

श्री विनय कटियार : उपसभाध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता के बोलने के पहले सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा है ...(**व्यवधान**)... वे कोई नई बात नहीं कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात) : सर, राजीव गांधी जी ने बोला ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have given my ruling. What can I do? ...*(Interruptions)*... I have already given my ruling. What can I do? ...*(Interruptions)*... I have already given my ruling. What can I do? ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : सर सारे वक्ताओं ने बोला है, यह नई व्यवस्था कैसे हो सकती Æîü ? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He can quote and authenticate. ...*(Interruptions)*... He can quote and authenticate. For that I have no objection.

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is quoting it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have already said that he can quote and authenticate. I have no objection.

श्री विनय कटियार : आप तो हमारे ...(**व्यवधान**)... इसलिए आप उनका समर्थन कीजिए ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Vinay Katiyar, why are you wasting time? You are wasting time of your own Leader. ...*(Interruptions)*... You are wasting time of your own Leader. Please. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : पहले तीन बार वक्ता बोल चुके हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, it is not a matter of wasting time. The only difference is what he has said, he has said it in English. What was said at that time was in Hindi. That is the only difference. ...*(Interruptions)*... Sir, whatever he said, he said that in English. He translated the Hindi version into English and you said that it would not go on record.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): A specific allegation against. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, it is not an allegation.

श्री शिवानन्द तिवारी : सर, यह allegation नहीं है ...**(व्यवधान)**...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, you allowed the slogan on the Doordarshan, "Khoon Ka Badla Khoon". The other day you allowed the Home Minister. ...*(Interruptions)*... the slogans mentioned in the Liberhan Commission Report. ...*(Interruptions)*... You are not allowing it today. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ahluwaliaji, I did not object to what he stated about the Doordarshan.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, you said that it will not go on record.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I only said about ...*(Interruptions)*... The statement said to be made by the then Prime Minister ...*(Interruptions)*... means, according to my knowledge of English, that the then Prime Minister justified the killings, about which I am not convinced.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, where is it written that we cannot mention about that? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is an allegation.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I appreciate that you may not be convinced. In this House, many speakers have referred precisely to that statement, but it was not expunged. Why it is being. ..*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is correct.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, you can check the records.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will reply to you. ...*(Interruptions)*... That statement was referred to. I have no objection to it. But Mr. Jaitley attributed that statement to the then Prime Minister. That is what I object? ...*(Interruptions)*... Why do you argue? ...*(Interruptions)*... have given my ruling ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : सर, सात हजार सिखें का ...(**व्यवधान**)... क्या सदन में चर्चा नहीं होगी ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have given my ruling. ...*(Interruptions)*...

SARDAR TARLOCHAN SINGH: It is my Motion, and I want to say something.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, मैंने सुना है ...(**व्यवधान**)... राजीव गांधी जी ने यह कहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री विनय कटियार : सर, सात हजार सिखों ...(**व्यवधान**)... तो उसका उल्लेख किया जाएगा या नहीं ...(**व्यवधान**)... उसको कैसे माफ कर दिया जाएगा ...(**व्यवधान**)...

सरदार तरलोचन सिंह : सर, 5 नवम्बर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की condolence meeting इंडिया गेट के सामने हुई। प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी उसमें शामिल थे ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, not permitted. ...*(Interruptions)* Not permitted ...*(Interruptions)*... Only what the Leader of the Opposition says will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : *

श्री प्रकाश जावडेकर : *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Katiyar, please sit down. ...*(Interruptions)*... Your leader can defend himself ...*(Interruptions)*... Why do you defend him? He is capable of defending himself ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am conscious of my responsibilities, and even though, in this House, we are not in the process of rewriting history, yet, I will respect your ruling. But, let me just quote from what one of the senior-most writers in this country has, recently, said. A journalist has published a book to which Mr. Khushwant Singh has written a Foreword. I would just read a few sentences from the Foreword that Mr. Khushwant Singh has written. He writes about certain politicians; I am quoting this, Sir, and you wanted me to quote from somewhere. He has written, and I quote: "Far from being punished, for their actions, they were rewarded by the Prime .Minister, Shri Rajiv Gandhi, by being accommodated in his Cabinet of Ministers. He himself exonerated the killers of the innocent Sikhs, in his first public speech, after he took over as the Prime Minister by saying, "But when a mighty tree falls, it is only natural that the earth around it does shake a little." It is a long tail of injustice which rankles in one's mind to this day." After having said this, Mr. Khushwant Singh exonerates the current Home Minister by saying, "Jarnail Singh picked up a wrong man to hurl his shoe at. Mr. Chidambaram had nothing, whatsoever, to do with the pogrom of 1984." Sir, you wanted me to quote from somewhere, and I don't think, on this subject, I could quote anybody more

* Not recorded

authentic than the 94-year old Mr. Khushwant Singh, who was also pained by the incidents of 1984. ...*(Interruptions)*... Yes, he was a Member of this House also at one time. Sir, the difficulty was that not only did the police not intervene by firing and stopping the mob, the police, for months and years, did not register FIRs. It was delay in investigation that started killing the process of coming to a conclusion as to whether some people were guilty or not. Was this xenophobia, or, majoritarianism that last week, when one of the leaders in my party now, a proud daughter of a Sikh and former Army Officer, went to contest against the then Prime Minister,...the kind of slogans she found in the streets, on the walls, written against her, almost dubbing her as the daughter of a traitor? This was the translation of what was written. Now, this was the environment we had created in this country.

Sir, we have some very respectable civil liberties organisations. Normally, we do not agree with everything that they do. Two of them, along with many eminent citizens, started an investigation to find out the truth. In January 1985, they published a booklet on the truth of the November 1984 happenings. The PUCL-PUDI did it. General Aurora, Air Chief Marshal Arjan Singh, now Field Marshal Arjan Singh, Mr. Tarkunde were all involved in the preparation of this document. Now, instead of looking at that document and finding out the facts, what was the reaction of the Government? That book was banned! What happened to the freedom of expression? That is why I say, all institutions collapsed. The ban is challenged in a court and the court says that the ban is justified; Don't talk about what has happened on the 1st of November, 1984! The ban was curiously upheld by the courts. That is how institutions had collapsed in this country.

You have so far appointed eight commissions or committees and, still, we are groping in the dark as to what the truth is. Those who were purportedly guilty, and they were repeatedly named, one after the other, each one of them is given tickets by the ruling party; some of them become MPs; some of them become Ministers after November, 1984.

With all these facts, what was the role of the State? Was it sponsored by the State? Was it being condoned by the State? Was it being covered up by the State?

Now, where are we today? I referred to this book, Sir. A very unfortunate incident took place, for which Mr. Khushwant Singh had words of exoneration as far as the present Home Minister was concerned. But I, at least, on one count, do not wish to exonerate him. The CBI says it wants to close the case against one of the two senior leaders involved, Mr. Sajjan Kumar. How the CBi is functioning itseif is a story. The Home Minister, instead of being concerned, makes a statement and I am quoting, "I am happy that my friend has been acquitted by the CBI". ...*(Interruptions)*...

Today, where are we? And it is a colossal fraud which is taking place. After 25 years, closing one case, and four other cases including the gentleman I have named – the CBI recommends prosecution. Prosecutions are under Section 302 which is murder or conspiracy to murder and, along with that, is added Section 153A, 'inciting communal hatred'. Now, Section 153A is a provision for which the Government is the competent authority and permission of the competent authority is required. For Section 302, which is punishable with death or life imprisonment, no permission is required. So, you add an offence punishable up to three years, that is, Section 153A, and for months together, after being pleased that his friend has been discharged by the CBI, the Government is, today, sitting over that permission; the competent authority is not giving permission to prosecute the gentleman concerned. What does this statement say? It says, "...in four cases, the CBI has sought permission under Section 196 from the competent authority.,.". Now, 25 years after the offence, after repeated pressures, the CBI is seeking permission, not for Section 302 but for Section 153A and, for months together, you don't give permission. Prosecution under Section 153A wouldn't start because if he is not prosecuted, the accused's friend will be very pleased.

Then, Sir, what happened in the case of Mr. Tytler? It must be known. The DIG of the CBI recommends the prosecution. The Joint Director dittos that view and says he must be prosecuted. The Director takes up the file and says, "I reverse the position taken by both of you; he should not be prosecuted". It is a system now where you either do not grant permission or do not grant sanction or you get the Director to reverse the investigation. This is happening now. And then I said, are these tears real or crocodile? When did the Prime Minister say in the House, in the Lok Sabha, on 10th August, 2005, the Prime Minister said, "Every tear on every eye will be wiped off. The grievance of the victims will be addressed." These are templates, Sir. "The law will take its own course." After August, 2005 what is happening? The CBI is in the process of launching a prosecution. The DIG says, "Prosecute"; the Joint Director says, "Prosecute"; the Director says, "No prosecution". Soon thereafter, the Director retires. Now, the Director has to be rewarded. They can't find a job for the Director. So, what is he now doing? I can understand a police officer advising the Home Minister on national security. The Director is now a part of a commission writing a report on Centre-State relations. He has been given a post-retirement job, after he rejected the recommendation of his DIG and Joint Director, to write a report on Centre-State relations. Now, constitutional relationship between the Centre and the States will be reviewed by a retired police officer. This is what is happening. Now, this is after August, 2005 that 'the guilty will be punished; the law will take its own course."

Sir, I go back to the question. Do you seriously want us to believe these statements? Look at three parts of your statement. Twenty five years after the massacre, a sum of Rs.462 crores has been spent, out of Rs.714 crores on relief. Twenty five years after the massacres, 40 per cent of the money has not been given to the victims. Twenty five years later! I can understand, 20 days or two months later or six months later or one year later. What does the statement say? 'Action against Delhi Police personnel.' This is the biggest eye-wash, Sir. "The Government is taking all possible steps within the ambit of the law in consultation with the Ministry of Law." Those officers have retired. Some may even have died, and 25 years after the incident, you are stili consulting the Law Ministry what action is to be taken against those officers? How many of them are in service? The Home Minister is a very eminent lawyer; he knows it that four years after retirement, even the pension can't be stopped. So, there can't be any action against any officer because the action itself is time-barred. No action can be taken against them. The outer limit for taking an action even against a retired officer is four years after his retirement. Thereafter the curtains are down, and he gets an immunity. And, 25 years later, you say, 'we are consulting the Law Ministry what is to be done about officers who were guilty 25 years ago.' Where is the evidence? Where are the guilty? So, your political leaders who are guilty, you add Section 153A in one case, and said, "Sanction is required and I am not giving it. I am pleased my friend has been acquitted in the other case." In one case, you get the Director, CBI to reverse what the DIG and the Joint Director have said. Police officers you have not proceeded against. Compensation, 40 per cent has not even been paid, 25 years later. So, where are we served? We can all say, 'the law will take its own course; there must be no majoritarianism; there must be no xenophobia.' We can re-write history, Sir, in this House, today, but the fact is, if the Government wants to wipe off the scars, the Government will have to act. And, I am afraid, so far, the track record of this Government in dealing with 84 Riots has been dismal. The Government seems to be completely insensitive to the plight of those victims, Sir. Thank you.

SHRI M. RAMA JOIS (Karnataka): Sir, I have to say one sentence. The entire debate leads to one conclusion as incorporated in the famous statement; "law is a wonder net through which big fishes escape and small are caught."

श्री विनय कटियार : महोदय, इसमें गृह मंत्री जी CBI के साथ जुड़े हुए हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सदन के अन्दर ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, please. ...*(Interruptions)*... Not permitted. ...*(Interruptions)*... Not permitted; not permitted. ...*(Interruptions)*... Vinay Katiyar, not permitted. ...*(Interruptions)*... Vinay - Katiyar, you are not permitted. ...*(Interruptions)*... You are

not permitted. ...*(Interruptions)*... Mr. Vinay Katiyar, you are not permitted. You take your seat. ...*(Interruptions)*... आपको परमिशन नहीं दी है ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी को बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी को बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बैठिए, ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. CHIDAMBARAM : I think, Mr. Katiyar does not like my face. Every time I rise to speak, he wants. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, he likes your face; that is why. ...*(Interruptions)*... That is the thing. ...*(Interruptions)*... Please, Katiyarji, sit down.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, this is not a happy occasion for me. I rise to reply to the questions raised by hon. Members on my statement with a very heavy heart. It is now my duty to explain as best as I can on what has been done and what has not been done. And, I do not intend to push anything under the carpet, nor do I intend to defend the indefensible. What happened on the 31st October, 1984, was a very grave crime. And, what happened in the three days that followed were horrendous crimes. No civilised society should defend the happenings of those three days of November 1, November 2 and November 3, and I do not intend to do so.

The Prime Minister, when he became the head of the UPA Government, came to this House on 11th August, 2005 and he said and I quote: "There were lapses in 1984. Several Commissions have gone into this matter. We all know that we still do not know the truth and the search must go on. It took the Sikh community a lot of time to regain confidence after the tragic incidents of 1984. I have no hesitation in apologising not only to the Sikh community but the whole Indian nation because what took place in 1984 is a negation to the concept of nationhood as enshrined in our Constitution. On behalf of our Government and on behalf of the entire people of this country, I bow my head in shame that such a thing took place."

Sir, I have nothing more to add to that. I can only add my voice of anguish that those three days were indeed black days in the history of this country. I hope that such black days will never be repeated. The Prime Minister of the Government of the day has apologised to the people. And, now we have to ask ourselves on what has been done, what is not done and what can be done. But, before I deal with that, please remember that I stand here twenty-five years later. I cannot fill for the inaction of twenty-five years. In fact, the Prime Minister said in the Lok Sabha the previous day, "Twenty-one years have passed. More than one political party was in power and yet the feeling persists that somehow the truth has not come out and the justice has not prevailed," In a sense, all of us owe a collective responsibility for both action and inaction.

At the end of the debate, with his usual eloquence, the Leader of the Opposition, tried to berate the Government. I think, my shoulders are broad enough to bear the brunt of the attack. But, the point is, you were in Government for six years too, and you were the Law Minister, Mr. Arun Jaitly. I will point out how I have tried, low the taw, as you and I know, often is an ass. You were the Law Minister, you could have made the ass into a horse. So, without injecting any partisan politics ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Justice Nanavati Commission was appointed and the truth came out.

SHRI P. CHIDAMBRAM: I know that. I will deal with that. Sir, a number of Commissions and Committees were appointed. There was the K.P. Singh Committee, there was the Dr. D.K. Shankaran Committee and there was the Justice Nanavati Commission of Inquiry. As I said in my statement, the Nanavati Commission was appointed on the 8th of May, 2000. Quite rightly, the Government of the day considered that the earlier reports were either inadequate or the earlier action was inadequate and decided to appoint a Commission. Fair enough! The report was submitted on the 9th of February, 2005, and the report said, as I have said in paragraph two of my statement, the Government should take steps to see all the affected persons, throughout the country, are paid compensation uniformly. So, that was the beginning of uniform compensation to ail victims all over the country. The Commission also made specific recommendations against some police personnel for their failure to perform their duties properly. An Action Taken Report was filed in this House on the 8th of August, 2005, and since then, of course, a number of steps have been taken. An attempt has been made to make up for the inaction of the previous years. And I have said as much in my statement. But let me deal with the issues that have been raised and try to clarify some aspects on which there are still some doubts. Firstly, on compensation, Sir, on the 16th of January, 2006, the Government of India wrote to the State Governments about a revised compensation package. We offered an *ex gratia* of Rs.3.5 lakh in each case of death in addition to the amount already paid by the respective State Governments. That is Category A. Category B was in the case of injury where we offered Rs.1.25 lakh. Category C was *ex-gratia* for damaged residential property at ten times the amount originally paid after deducting the amount already paid. Category D is damage to uninsured commercial and industrial properties at ten times of the amount already paid. And then the category E was rehabilitation grant at Rs.2 lakh per family. A+B+C+D+E comes to 36,336 cases. On the basis of calculating the amount that would be required for the 36,336 cases, we provided a sum of Rs.714.76 crores out of which 'as I said' Rs.462.41 crore has been disbursed. Therefore, naturally the question has arisen,what about the remainder. The remainder is because 2627 cases are still pending with the State Governments. Of this, 435 are pending in Punjab. There are 144 cases in

Delhi, 122 in Haryana, 56 in Jharkhand, 55 in Madhya Pradesh, 47 in Orissa and 1561 in Uttar Pradesh. Now, why are they pending? They are pending because according to the State Governments there are disputes among the successors. There are some court cases. There is absence of adequate documentary evidence of being a successor. Some claimants are not traceable. So, there are reasons why the State Governments have not yet disbursed for 2627 claimants. We have, from time to time, urged upon the State Governments to do so quickly. Ours is a reimbursement scheme. As and when they disburse, the amount will be disbursed to the State Governments. But, I intend to write to the Chief Ministers once again asking them to dispose of these cases quiely. But the compensation story starts from 2006. We are in 2009. This delay is bad enough. I will do my best to see there is no further delay. Rs. 462.414 crores has already been disbursed. Of this, Rs. 149.22 crores was in Delhi, 256.49 crores was in Punjab. Other States have disbursed smaller amounts. As regards West Bengal, Tamil Nadu and Chandigarh, as I have said in my statement, this came later. We had given a time table to the three State Governments. According to this time table, they should be able to disburse the amounts by 31st December, 2009, file their claims before the Central Government by January, 2010 and we will reimburse them by March, 2010. There is still time. I hope they will complete their task by the time table that we have agreed upon. My approach to these matters is to fix deadlines and make sure that people adhere to the deadlines. Despite my cracking the whip quite often, deadlines are missed but, I will do my best to ask these three State Governments to complete the exercise by December, 2009. Sir, I will come to the question about jobs. Now, most State Governments have not formulated any, scheme to give jobs to families which were affected. Some have said there are no claimants at all. Punjab has given jobs to 126 persons before the package was announced and to one person after the package was announced. Uttar Pradesh says it is still considering that element of the package. In Delhi, 1115 requests have been received for jobs. I am not satisfied with the way the Delhi Administration...

SARDAR TARLOCHAN SINGH: Nobody has been given jobs even today.

SHRI P. CHIDAMBARAM: That is what I am saying, Tarlochanji, I am not satisfied with the way Delhi Administration is approaching the matter. The usual reasons are being given, namely we are

verifying the claims, we are holding a camp. These are usual bureaucratic excuses. I am not satisfied. I intend to deal with this matter directly. I will, as early as possible, find a way in which these 1115 requests can be processed and those who are eligible, under the terms and conditions we have laid down, I will see that jobs are provided to as many as possible, out of 1115 requests that have come to the Delhi Administration. Sir, the next point is about action against the Police. In the last 25 years, if any one category of delinquent persons has got away with virtually no punishment, it is police. We have been able to take departmental action against 7 persons. Out of these, 3 got relief in an appeal. In the case of one officer, the CAT has stayed the order. And, 'there is a matter pending before the High Court. It is, obviously, most unsatisfactory. I have a long list here. Every case of departmental action, apart from the seven, has ended in some kind of exoneration either by the Inquiry Officer or by the appellate authority.

As far as prosecution is concerned, the record is even worse. Sir, except one case which is pending, no police officer has been convicted. The largest number of people...650...who died was in Kalyanpuri Police Station area. The Station House Officer was exonerated. The second largest number was in Srinivaspuri Police Station area. Where, again, there is some enquiry against the Station House Officer. The point is – without injecting politics – what is it I can do now, 25 years later for all the inaction that has taken place in prosecuting or proceeding departmentally against the police officers and most of whom have retired, or, many have retired, or, some have even passed away.

SARDAR TARLOCHAN SINGH: Sir, they were promoted and even awards were given.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Two cases came to the notice recently. One was dealt with by my predecessor. The law book and the rule book were thrown at him and they said that this case cannot be re-opened. One case came before me. I persisted. I said, 'nothing doing. This is my reading of the law. Re-open it.' An opinion of the Law Officer is thrown at me saying that this cannot be re-opened. It appears the opinion is strictly correct under the rules. It is because, after an officer has retired, he will not fall under the definition of 'member of the service.' Therefore, we cannot take action against him under the CCS/CCA Rules. Can you take action against him under the Pension Rules? You cannot do it after four years of his retirement.

The point is, in 1984, or, shortly thereafter, in retrospect, it appears to me, we should have made a law to override these legal obstacles, so that the guilty could never escape and they would be punished even after the passage of time. I am still not satisfied by the rule book being thrown at me. I am still trying to find a way of how we can punish these police officers who are clearly, some of them at least, based on the evidence, guilty of grave dereliction of duty. I cannot promise anything now. I have to find a legal way out of it. Sir, Arun, for example, has pointed out that a book was banned. Fine. It gave him a great opportunity to aim an arrow at the Government. I take that arrow. Then he said that the ban was upheld by the court. Being a very careful lawyer, he did not aim an arrow at the court. The point is: whatever we do, we have to do and it has to be supported by law or some rule. At the moment, I find, despite my persistence, despite my dodged pursuit of that case, the rule book is being thrown at me and it is said that nothing can be done about these cases. I am still trying to find the way. If the Leader of the Opposition can help, I will be grateful for the help, But I am still trying to find the way in which the police officers who were, certainly, responsible for, at least, grave dereliction of duty can be punished or can be punished can be brought to justice. Without making any promise that I will be able to succeed, I promise that I will try my best.

SHRIMATI BRINDA KARAT: What about the missing persons?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am coming to that. Shrimati Karat mentioned about giving jobs to children. As I said, there are 1,115 such cases. GNCTD has asked for two months, but I intend to monitor it myself. As far as missing persons are concerned, she just now gave me a list of five cases of missing persons. My officers have told me that we do not have or have not compiled any list of missing persons so far. She has given me a list of five. I, immediately, instructed my officers to tell all the police stations to put up to the Ministry all the complaints of missing persons in or about that time, that is, 1984. I will compile that list of missing persons. The, steps to be taken are quite obvious to me. If they have been missing for more than seven years, they are presumed to be dead. They have to be given compensation. So, we will try to compile that list. This is the first time that this has been brought to my notice. Partly, I am responsible. It should have been brought to my notice earlier. But this is the first time that the case of missing persons has been brought to my notice, I will try to see how soon I can compile such a list and take action according to law.

Finally, Sir, we come to the issue of prosecution. The Leader of the Opposition got an opportunity to take a dig at me, as I found he quoted me three times and every time the quotation improved. Every time the quotation was embellished. What I was asked is this – "The CBI has found no case against so and so. What do you have to say? I said, I have nothing to say." The CBI found nothing against so and so. I said, "All I can say is, I am happy for so and so." What else can I say? Should I pronounce that the CBI was wrong, or, should I pronounce that the CBI was right? If the

CBI has found someone guilty and files a charge-sheet or seeks sanction of prosecution, I accept that. If the CBI says in this particular case we do not find evidence, we discharge the person, I accept that. What more can I say? What more should I say? I am not defending anyone. The fact is, the CBI is looking into seven cases. One case is against Shri Dharam Das Shastri. A closure report was filed on the 28 of September, 2007, and the court on 21st of April, 2009 has accepted the closure report: There is one case in which a charge sheet was filed against Shri Jagdish Tytler on the 28th of September, 2007 and the final report has been filed on 28th of March, 2009. The matter is in court. In four cases, the CBI has sought sanction for prosecution. Four cases are before the competent authority and the competent authority, as the Leader of the Opposition knows, is not the Home Minister. The competent authority is the Lieutenant Governor. We have advised the Lieutenant Governor to take a decision as early as possible. ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL: He is appointed by you, Sir.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Just a moment, please. If you appoint the Lieutenant Governor, that does not mean that can take over his powers. Mr. Gujral should know that. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Delhi police ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: He is the competent authority today. You were the Law Minister. You could have changed that at that time.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Delhi Police comes under the Ministry of Home Affairs. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Nobody is disputing that. Nobody is disputing that Delhi Police is under me, but sanction has been sought from the competent authority. The competent authority is the Lieutenant Governor. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: There is no scope for any dispute on that. It is a legal provision. The Competent authority is the Home Minister who has delegated his powers to the Lieutenant Governor.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes.

SHRI P. CHIDAMBARAM: That power was not delegated by this Home Minister. The power was always delegated by the Home Minister to a Lt. Governor. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Can you tell us a time-frame?...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Can you just wait? Let me complete. Let me complete. You don't fall into their trap now. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Just listen, Chidambaramji.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Let me complete the answer. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: No; you are setting your trap in which you are falling; he is falling into his own trap. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Please understand. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: What I am asking is, give us a time-frame. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering that. ...*(Interruptions)*... Why don't you allow me to complete that portion?

The Leader of the Opposition knew that the competent authority is the Lt. Governor, yet, he was not willing to make that statement. He made it appear that the Home Minister is sitting on that file. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes.

SHRI P. CHIDAMBARAM: No. Mr. Ahluwalia should know; the answer to your question is 'no', a loud and clear 'no'. ...*(Interruptions)*... Wait a minute. The authority is the Lt. Governor. Therefore, the Lt. Governor has been advised to take a decision as early as possible and I will once again request the Lt. Governor that he must take a decision before the end of this month. That is all I can say at the moment. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, whether it is Lt. Governor or Governor, they work on the aid and advice of the Council of Ministers and here also, ...*(Interruptions)*... the President or the Governor, work on the aid and advice. ...*(Interruptions)*... Why are you keeping article 74 in the Constitution? ...*(Interruptions)*... What is this?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Ahluwalia, I suggest that you take a briefing on this from the Leader of the Opposition. If the competent authority is the Lt. Governor, I cannot interfere and say, 'the Lt. Governor should do this or do that.' The Lt. Governor has to grant sanction. If he takes a wrong decision, there are remedies; if he takes a right decision also, there are remedies. I cannot now tell the Lt. Governor, 'do this or do that.' We have already advised him and I will advise him once again that he has to take a decision before the end of this month.

Then, there is one last case, as I said in the statement, and in that case, 48 witnesses have already been examined and 23 documents have been collected. I expect the CBI to submit its report and either seek sanction or close the matter as soon as they come to a conclusion. In none of the cases is the Home Ministry or the Home Minister interfering in favour of one or against the other. In fact, I would advise both the prosecuting agency and the competent authority to act impartially, fearlessly, and, above all, speedily in the matter. In this case, impartiality is as important as speed. They should act impartially; they should act with speed and they should take a decision. But please remember, one chargesheet has been filed. In four cases, it is pending and I am confident that the Lt. Governor, having heard the views of hon. Members and having heard what I have said in this House so categorically, will take a decision before the end of this month.

Sir, I think I have answered all the questions. ...*(Interruptions)*... I think have answered. ...*(Interruptions)*... I have answered it; you were not listening. I have answered it. The time-limit is 31.12.2009. I have answered it.

Sir, I am only unhappy that towards the very end, an attempt was made to inject politics. In this case, the Sikh community suffered and we all grieve that the Sikh community suffered. The community is known for its patriotism and valour; the community is known for its hard work; the community has converted Punjab into the granary of India. In fact, they grow more paddy than we grow in Tamil Nadu or Andhra Pradesh. So, we all collectively grieve at the loss of the Sikh community, and, I, as a Home Minister, promise this House and the people of India, and, especially, the Sikh community, that I will do my best to heal the wounds as it lies within my power at this distance of time.

But, equally, we must collectively grieve if another minority community suffers also. I did not find that spirit a few days ago. I don't want to say more. I wish the debate last week was as peaceful and as accommodative of all views as the debate today. But it was not so. I leave the debate with that thought. I think, if anyone suffers in this country, especially, any minority community suffers in this country, be it a religious minority or a linguistic minority, a part of India's civilisational values dies. And all of us are responsible for protecting the interests of the minorities. In this case, it is the Sikh community. I will do rny best to heal the wounds of the Sikh community. I once again reiterate the apology tendered by the Prime Minister in 2005, and I will do my best to see what justice can be done to this community.

SHRI S.S. AHLUWALIA : Sir, I found that he is a very articulate person, and he wants to make a case. No police action was taken; no jobs were given to the dependents of the victims, those who suffered losses; no action was taken against the culprits. It is a hopeless reply, Sir. We are not satisfied with his reply. ...*(Interruptions)*... It. is a hopeless reply. We are not satisfied. ...*(Interruptions)*... We stage a walk-out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

SARDAR TARLOCHAN SINGH: Sir, I may be given time. ...*(Interruptions)*... Sir, I am the mover of the Calling Attention. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Appropriation (No. 4) Bill, 2009. Shri Pranab Mukherjee. ...*(Interruptions)*...

GOVERNMENT BILL

The Appropriation (No.4) Bill, 2009

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move:-

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of me financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, this is the first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2009-10. In order to minimize the adverse impact of the global meltdown on Indian economy, the Government took a conscious decision of continuing with the policy of providing fiscal stimulus and presented the Budget 2009-10 with a fiscal deficit of 6.8 per cent of GDP. The overall financial performance in the first half of the fiscal year 2009-10 is in line with the Budget Estimates presented in July 2009. At the same time, the impact of these stimuli has started showing results with the economy recording a seven per cent growth in the first half of 2009-10.

Reduced rates of taxes and duties were continued in the Budget 2009-10 to counter the adverse effects of economic slowdown. Along with new budget proposals on direct and indirect taxes, the gross tax to GDP ratio was estimated at 10.9 per cent in the BE 2009-10 as against gross tax to GDP ratio of 11.5 per cent in 2008-09 (Provisional Accounts). In absolute terms, gross tax revenue in BE 2009-10 was estimated at Rs.6,41,079.34 crores. This reflects growth of 5.1 per cent over gross tax receipts of 2008-09. However, the gross tax revenue collection up to October 2009 shows a decline of 7.5 per cent over the same period in 2008. This is primarily attributed to the steep decline in indirect tax components, namely, Union excise Duties and Customs. It has to be noted that in 2008-09, the indirect tax rates were higher during this period. However, the likely shortfall in the indirect tax components is expected to be compensated with higher collection in the direct tax components in 2009-10.

Plan expenditure during 2009-10 is estimated at Rs.3,25,149 crores, reflecting a growth of 18 per cent over the provisional actuals of 2008-09. This is 33.6 per cent over the Budget Estimates of